

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 36 सन् 1983

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982

यथा संशोधित

विषय सूची

अध्याय 1—प्रारम्भिक

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ | 1 |
| 2. परिभाषाएं | 1 |

अध्याय 2—निधि और मण्डल का गठन

- | | |
|---|---|
| 3. श्रम कल्याण निधि | 4 |
| 4. मण्डल का गठन और सदस्यों को देय भत्ते | 5 |
| 5. निरहंता तथा हटाया जाना | 6 |
| 6. सदस्य द्वारा पद त्याग और आकस्मिक रक्ति का भरा जाना | 7 |
| 7. समितियां नियुक्त करने की शक्ति | 8 |

अध्याय 3—निधि का निहित होना और उसका उपयोगन

- | | |
|--|----|
| 8. असंदत संचित राशियां और उनके बारे में दावे | 8 |
| 9. अभिदाय | 10 |

10. आम सूचना दी जाने के पश्चात् असंदत संचित राशियों या जुमनि पर व्याज	12
11. निधि का निहित होना और उसका उपयोजन	12
12. उधार लेने की मण्डल की शक्ति	14
13. निधि का विनिधान	14
14. संपरीक्षा तथा लेखे	14
14-क. मण्डल की वार्षिक रिपोर्ट	15
14-ख. नियोजकों द्वारा क्रियाकलापों की रिपोर्ट	15
14-ग. मण्डल की शक्तियों का प्रत्यायोजन	15

अध्याय 4—अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति

15. कल्याण आयुक्त, अपर या उप कल्याण आयुक्त	15
16. निरीक्षकों की नियुक्ति	16
17. अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति	17
18. सरकारी सेवकों की प्रतिनियुक्ति	17
19. दण्ड अधिरोपित करने की शक्ति	17
20. सेवा शर्तें	17
21. व्यय पर निर्बन्धन	17

अध्याय 5—प्रकीर्ण

22. अभिलेख मंगाने की शक्ति	18
23. राज्य सरकार द्वारा मण्डल को निर्देश	18
24. मण्डल को देय राशियों की वसूली का ढंग	18
25. मण्डल का अतिष्ठान	18

26.	सदस्य आदि लोक सेवक होंगे	19
27.	सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिये संरक्षण	19
28.	छूट	19
29.	केन्द्रीय अधिनियम, 1936 का सं. 4 का संशोधन	19
30.	कतिपय सम्पत्तियों का निहित होना	20
31.	निरीक्षक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा पहुँचाने के लिये, दस्तावेज आदि पेश न करने के लिये शास्ति.	20
32.	अधिकारिता के सम्यन्ध में उपबंध	21
33.	नियम बनाने की शक्ति	21
33 क	विनियम बनाने की शक्ति	23
34.	कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति	23

भाग — 2

1.	मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि नियम, 1984	24
2.	महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं	47

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 36 सन् 1983.

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982

(संशोधित)

[दिनांक 6 नवम्बर 1983 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई. अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 18 नवम्बर 1983 को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य में श्रमिकों के कल्याण की अभिवृद्धि करने संबंधी क्रियाकलापों का वित्त पोषण करने के लिये एक निधि का गठन करने के लिये, ऐसे क्रियाकलापों का संचालन करने के लिये और उनसे आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1—प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ. —(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(3) यह ऐसी तारीख या तारीखों को प्रवृत्त होगा जिसे/जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये तथा भिन्न-भिन्न स्थापनों या भिन्न-भिन्न वर्गों के स्थापनों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "मण्डल" से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन गठित मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल ;

(2) "अभिदाय" से अभिप्रेत है धारा 9 के उपबंधों के अनुसार मण्डल को देय धनराशि ;

- (3) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थापन में कोई कुशल, अर्द्ध-कुशल या अकुशल, शारीरिक, लिपिकीय, पर्यवेक्षक या तकनीकी काम करने के लिये भाड़े या पारिश्रमिक पर नियोजित किया जाता है ;

किन्तु उसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है—

- (क) जो मुख्यतः किसी प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित है ; या
- (ख) जो, पर्यवेक्षक हैसियत में नियोजित होते हुए, एक हजार छः सौ रुपये प्रतिमास से अधिक मजदूरी लेता है या जो, उसके पद से संलग्न कर्त्तव्यों की प्रकृति के कारण, या अपने में निहित शक्तियों के कारण, ऐसे कृत्यों का पालन करता है जो मुख्यतः प्रबंधकीय प्रकृति के हैं ;
- (4) "नियोजक" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो सीधे या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, या तो स्वयं अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से एक या अधिक कर्मचारियों को किसी स्थापन में नियोजित करता है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं :—
- (एक) किसी कारखाने के संबंध में, कोई ऐसा व्यक्ति जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 63) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन नामित है ;
- (दो) किसी ऐसे स्थापन के संबंध में, जो राज्य सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाया जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी जिसे कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, या जहां कोई व्यक्ति या प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया गया हो, वहां विभागाध्यक्ष ;
- (तीन) किसी अन्य दशा में, वह व्यक्ति या प्राधिकारी, जो स्थापन के कार्यकलापों पर अंतिम नियंत्रण रखता है और जहां उक्त कार्यकलाप किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह प्रबंधक, प्रबंध निदेशक या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो, सौंपे जाते हैं, वहां ऐसा व्यक्ति ;

(5) "स्थापन" से अभिप्रेत है—

(एक) कोई कारखाना ; या

(दो) कोई कारखाना या व्यापार या उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक कोई काम करने वाला कोई स्थापन जो ऐसी संख्या से, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, अधिक संख्या में व्यक्तियों को नियोजित करता है या जिसने पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान किसी कार्य-दिवस को उक्त संख्या से अधिक संख्या में व्यक्ति नियोजित किए हों :

किन्तु उसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं :—

(क) राज्य सरकार का कोई स्थापन (जो कारखाना न हो) ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके प्राधिकार के अधीन चलाया जाने वाला कोई ऐसा स्थापन जिसके लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का सं. 14) की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन औद्योगिक विवादों के प्रयोजनों के लिये, समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार हो ;

(6) "कारखाना" से अभिप्रेत है कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का सं. 63) की धारा 2 के खण्ड (ड) में यथा-परिभाषित कारखाना ;

(7) "निधि" से धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अभिप्रेत है ;

(8) "स्वतंत्र सदस्य" से अभिप्रेत है—

(एक) मण्डल का कोई ऐसा सदस्य जो किसी स्थापन के प्रबंध (मैनेजमेंट) से सम्बद्ध न हो या जो कर्मचारी न हो, और

(दो) राज्य सरकार का कोई अधिकारी, जिसे सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित किया गया हो ;

- (9) "औद्योगिक न्यायालय" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 9 के अधीन गठित न्यायालय ;
- (10) "निरीक्षक" से अभिप्रेत है धारा 16 के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक ;
- (11) "असंदत संचित राशियों" से अभिप्रेत है ऐसे समस्त संदाय जो किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी को शोध्य हों किन्तु—
- जो उस तारीख से जिसको वे, चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात्, शोध्य हो गए हों, तीन वर्ष के भीतर उसे न चुकाए गए हों और उसके अन्तर्गत है वैध रूप से देय मजदूरी, मकान किराया भत्ता (हाउस रेन्ट एलाउन्स) और उपदान किन्तु अभिदाय की रकम, यदि कोई हो, जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का सं. 19) के अधीन स्थापित भविष्य निधि में नियोजक द्वारा देय हो उसके अन्तर्गत नहीं है ;
- (12) "मजदूरी" से अभिप्रेत है मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का सं. 4) की धारा 2 के खण्ड (उह) में यथा-परिभाषित मजदूरी ;
- (13) "कल्याण आयुक्त" से अभिप्रेत है धारा 15 के अधीन नियुक्त कल्याण आयुक्त.

अध्याय 2—निधि और मण्डल का गठन

3. श्रम कल्याण निधि.—(1) राज्य सरकार एक निधि गठित करेगी जो मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि कहलाएगी.

(2) यह निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

- (क) कर्मचारियों से वसूल किये गये समस्ते जुर्माने ;
- (ख) निधि में धारा 8 के अधीन अन्तर्गत की गई समस्त असंदत संचित राशियां;

- (ग) धारा 9 के अधीन संदत्त कोई अभिदाय ;
- (घ) धारा 10 के अधीन चुकाया गया कोई शास्तिक व्याज (पेनल इन्टरेस्ट) ;
- (ङ) कोई स्वेच्छिक दान ;
- (च) निधि में से उपधारा (3) के अधीन अंतरित की गई कोई रकम ;
- (छ) राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान या सहायकी (सबसिडी) के तौर पर निधि में जमा की गई कोई राशि ;
- (ज) धारा 12 के अधीन उधार ली गई कोई राशि ;
- (झ) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई उधार.

(3) यदि किसी स्थापन के नियोजक द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिये कोई निधि सृजित की गई है या कोई राशि पृथक् रखी गई है तो नियोजक द्वारा अनुरोध किये जाने पर और राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात्, वह निधि में अंतरित की जा सकेगी.

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविदा या लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समस्त असंदत्त संचित राशियां ऐसे अन्तरालों पर, जो विहित किये जाएं, मण्डल को संदत्त कर दी जाएंगी जो उसका पृथक् लेखा उस समय तक रखेगा जब तक कि उनसे संबंधित दावे धारा 8 में उपबंधित रीति में विनिश्चित न कर दिये गये हों, और इस धारा की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अन्य राशियां निधि में जमा कर दी जाएंगी.

(5) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट राशियों का संदाय ऐसे अधिकरणों को या उनका संग्रहण ऐसे अधिकरणों द्वारा, ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा विहित किया जाय.

4. मण्डल का गठन और सदस्यों को देय भत्ते.—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सम्पूर्ण राज्य के लिये मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल का गठन इन प्रयोजनों से करेगी कि वह निधि का प्रशासन करें, और ऐसे अन्य कार्यों का सम्पादन करें जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मण्डल को सौंपे जाएं.

(2) मण्डल उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने की शक्ति होगी और जो उक्त नाम से वाद चला सकेगा और जिसके विरुद्ध उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा।

(3) मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

- (क) अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;
- (ख) इतनी संख्या में, जो विहित की जाय, नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

परन्तु नियोजकों और कर्मचारियों दोनों को मण्डल में समान प्रतिनिधित्व मिलेगा ;

- (ग) , राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले उतने स्वतंत्र सदस्य जितने विहित किये जायें ; और

- (घ) मण्डल का सचिव.

(4) इस अधिनियम में अधिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, अध्यक्ष की और उपधारा (3) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उनके नाम-निर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की होगी।

(5) मण्डल के सदस्य ऐसे भते, यदि कोई हो, पान के हकदार होंगे जो विहित किये जाएं.

5. निरर्हता तथा हटाया जाना.—(1) कोई ऐसा व्यक्ति मण्डल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा या उस रूप में नहीं बना रहेगा जो—

- (क) मण्डल का वैतनिक पदधारी (आफिशियल) है ; या
- (ख) अनुन्मोचित दिवालिया है ; या

- (ग) पागल पाया जाता है या विकृत चित का हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है ; या
- (घ) नैतिक अधमता अन्तर्वर्तित करने वाले किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जाता है या ठहराया जा चुका है :

परन्तु खण्ड (क) के अधीन की निरर्हता मण्डल के सचिव को लागू नहीं होगी.

(2) राज्य सरकार धारा 4 के अधीन गठित मण्डल के किसी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी जो—

- (क) उपधारा (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी निरर्हता से ग्रस्त है या ग्रस्त हो जाता है ; या
- (ख) मण्डल की इजाजत के बिना, मण्डल के तीन क्रमवर्ती सम्मिलनों से अधिदा सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है ; या
- (ग) राज्य सरकार की राय में मण्डल के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य कर रहा है.

6. सदस्य द्वारा पद त्याग और आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना.—(1) कोई सदस्य अपने पद का त्याग करने की लिखित सूचना राज्य सरकार को देकर अपना पद त्याग सकेगा. और ऐसा त्यागपत्र स्वीकार कर लिये जाने पर, यह समझा जाएगा कि उसने राज्य सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किये जाने की तारीख से अपना पद रिक्त कर दिया है.

(2) किसी सदस्य के पद की आकस्मिक रिक्ति राज्य सरकार द्वारा, यथाशीघ्र सुविधानुसार भरी जाएगी और इस प्रकार नाम-निर्देशित किया गया सदस्य अपने पूर्वाधिकारी की पदावधि के अनवसित भाग के लिये पद धारण करेगा.

(3) मण्डल का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर कि मण्डल में कोई रिक्ति थी, या उसके गठन में कोई त्रुटि थी, या इस आधार पर कि किसी व्यक्ति ने मण्डल की कार्यवाहियों में अप्राधिकृत रीति से भाग लिया था और मत दिया था, प्रशङ्कित नहीं की जाएगी.

7. समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति.—मण्डल को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में और साथ ही धारा 11 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी उद्देश्य को कार्यान्वित करने में सलाह देने के प्रयोजन के लिये मण्डल एक या अधिक समितियों का गठन कर सकेगा। किसी समिति का गठन और उनका कार्यकाल ऐसा होगा जो विहित किया जाय।

अध्याय 3—निधि का निहित होना और उसका उपयोग

8. असंदत संचित राशियाँ और उनके बारे में दावे.—(1) समस्त असंदत संचित राशियों को परित्यक्त सम्पत्ति समझा जायेगा।

(2) किन्हीं असंदत संचित राशियों का धारा 3 के उपबंधों के अनुसार मण्डल को संदाय कर दिया जाने पर, नियोजक का किसी कर्मचारी को उसके संबंध में संदाय करने के दायित्व से उन्मोचन हो जाएगा, किन्तु ऐसा उन्मोचन केवल उतनी रकम के परिमाण तक ही होगा जितनी मण्डल को संदत की गई हो; और कर्मचारी को पूर्वोक्त परिमाण तक की रकम का संदाय करने का दायित्व, इस धारा के उत्तरवर्ती उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए मण्डल को अन्तरित हो गया समझा जाएगा।

(3) किन्हीं असंदत संचित राशियों का संदाय मण्डल को कर दिया जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, मण्डल सूचना (जिसमें ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी जो विहित की जाय) द्वारा, जो—

(क) उस कारखाने या स्थापन के, जिसमें कि वे संचित राशियाँ, जो असंदत हैं अर्जित की गई हों, सूचना फलक पर प्रदर्शित की जाएंगी; और

(ख) उस क्षेत्र में, जिसमें वह स्थापन स्थित है जिसमें वे संचित राशियाँ, जो असंदत हैं, अर्जित की गई हैं आमतौर पर सम्झी जाने वाली भाषा के उस समाचार पत्र में, जिसका ऐसे क्षेत्र में प्रचालन हो प्रकाशित की जाएगी;

कर्मचारियों से किसी ऐसे संदाय के लिये, जो उन्हें शोध्य हो, दावे ऐसी सूचना के सूचनाफलक पर प्रदर्शित किये जाने या उसके इस प्रकार प्रकाशित किये जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की कालावधि के भीतर फाइल किये जाने के लिये मांग करेगा। ऐसी सूचना, सूचनाफलक पर उसके प्रदर्शित किये जाने की तारीख से लगातार एक सौ अस्सी दिन तक सूचनाफलक पर प्रदर्शित की जाती रहेगी।

(4) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूचना उपधारा द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार दी गई थी तो मण्डल का इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र कि वह इस प्रकार दी गई थी, निश्चायक होगा।

(5) यदि कोई दावा उपधारा (3) के अधीन सूचना के उत्तर में प्राप्त होता है तो मण्डल ऐसे दावे को भजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का सं. 4) की धारा 15 के अधीन नियुक्त किये गये ऐसे प्राधिकारी को अन्तर्गत कर देगा जो उस क्षेत्र पर, जिसमें कि वह कारखाना या स्थापन स्थित है, अधिकारिता रखता हो, और ऐसा प्राधिकारी ऐसे दावे को न्याय निर्णित करने और विनिश्चित करने की कार्यवाही उस तारीख से, जिसकी कि वह दावा मण्डल द्वारा उसे अन्तर्गत किया गया है, नब्बे दिन की कालावधि के भीतर करेगा। ऐसे दावे की सुनवाई करने में, एक प्राधिकारी को वे शक्तियां होंगी जो उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त की गई हैं और वह उस प्रक्रिया का, जो उस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने के लिये अधिकथित है, (जहां तक कि वह लागू हो) अनुसरण करेगा।

(6) यदि पूर्वोक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई दावा विधिमान्य है और संदाय प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो गया है तो वह यह विनिश्चित करेगा कि उन असंदत संचित राशियों का, जिनके संबंध में दावा किया गया है परित्यक्त सम्पत्ति समझा जाना समाप्त हो जायगा, और मण्डल को यह आदेश देगा कि वह दावाकृत सम्पूर्ण शोध राशियों का या उनके ऐसे भाग का, जिसके संबंध में ऐसा प्राधिकारी यह विनिश्चित करता है कि वह समुचित रूप से शोध है, संदाय कर्मचारियों को कर दे, और मण्डल तदनुसार संदाय करेगा :

परन्तु मण्डल ऐसे दावे के संबंध में किसी ऐसी राशि का संदाय करने का दायी नहीं होगा जो मण्डल को धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन असंदत संचित राशियों के रूप में संदत की गई राशियों से अधिक हो।

(7) यदि संदाय के लिये कोई दावा नामंजूर कर दिया जाता है, तो कर्मचारी को औद्योगिक न्यायालय को अपील करने का अधिकार होगा, और मण्डल अपील में किये गये किसी आदेश का अनुपालन करेगा। अपील प्राधिकारी के विनिश्चय से साठ दिन के भीतर की जा सकेगी। औद्योगिक न्यायालय अपना विनिश्चय सामान्यतः उस तारीख से, जिसकी कि अपील उसके समक्ष पेश की गई हो, साठ दिन की कालावधि के भीतर देगा।

(8) प्राधिकारी का विनिश्चय, पूर्वोक्त अपील के अन्तर्गत रहते हुए और अपील से औद्योगिक न्यायालय का विनिश्चय, संदान प्राप्त करने के अधिकार और संदाय करने

के मण्डल के दायित्व के बारे में तथा साथ ही रकम, यदि कोई हो, के बारे में अंतिम तथा निश्चायक होगा।

(9) यदि उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई दावा नहीं किया जाता है, या कोई दावा प्राधिकारी द्वारा पूर्वोक्तानुसार, अथवा अपील पर न्यायालय द्वारा सम्यक् रूप से नामंजूर कर दिया गया हो, तो ऐसे दावे के संबंध में असंदेह संचित राशियां मण्डल को अस्वामी (बोना वेकेन्शिया) के रूप में प्रोद्भूत हो जाएंगी और उसमें निहित हो जायगी, और उसके पश्चात्, किसी अतिरिक्त हस्तांतरण के बिना, निधि में अन्तर्गत हो गई और उसका भाग बन गई समझी जाएंगी।

(10) जहां वह प्राधिकारी या औद्योगिक न्यायालय अपना विनिश्चय यथास्थिति उपधारा (5) या उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर देने में असमर्थ हो, वहां वह ऐसा न कर सकने के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगा।

9. अभिदाय.—(1) किसी स्थापन में के किसी कर्मचारी के संबंध में इस अधिनियम के अधीन देय अभिदाय नियोजक द्वारा देय अभिदाय (जो इसमें इसके पश्चात् "नियोजक का अभिदाय" के नाम से निर्दिष्ट है) कर्मचारी द्वारा देय अभिदाय (जो इसमें इसके पश्चात् "कर्मचारी का अभिदाय" के नाम से निर्दिष्ट है) और राज्य सरकार द्वारा देय अभिदाय से मिल कर जनेगा, और वह मण्डल को संदत्त किया जाएगा और निधि का भाग रूप होगा।

(2) (क) यदि किसी कर्मचारी का नाम किसी स्थापन के रजिस्टर में क्रमशः 30 जून और 31 दिसम्बर को दर्ज रहता है, तो ऐसे प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रत्येक छह मास में देय अभिदाय की रकम केवल [एक रुपया] होगी और प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के लिये नियोजक द्वारा प्रत्येक छह मास में देय अभिदाय की रकम [तीन रुपये] होगी ;

(ख) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाय अर्थात्,

"[परन्तु प्रत्येक छह मास में देय नियोजक का अभिदाय एक सौ पचास रुपये* से कम नहीं होगा।

"(3) प्रत्येक नियोजक, उपधारा (2) के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए नियोजक का अभिदाय और कर्मचारियों का अभिदाय ऐसे दोनों का ही संदाय मण्डल को प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई और 15 जनवरी के पूर्व करेगा."

1. अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1935 द्वारा संशोधित.
2. अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1936 द्वारा जोड़ा गया.
3. अधिनियम क्रमांक 39 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित.

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, नियोजक को यह हक होगा कि वह कर्मचारी से कर्मचारी का अभिदाय उसकी मजदूरी में से काट कर वसूल करें, किन्तु उसे उसकी वसूली किसी अन्य रीति से करने का हक नहीं होगा ; और ऐसी कटौती मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का सं. 4) द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत कटौती समझी जाएगी :

परन्तु कोई भी ऐसी कटौती, अभिदाय की उस रकम से अधिक नहीं की जाएगी जो ऐसे कर्मचारी द्वारा देय हो, और न ही वह जून और दिसम्बर मास की मजदूरी से भिन्न किसी मजदूरी में से की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि यदि अनवधानता के कारण या किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, जो अभिलिखित की जाएगी, किसी कर्मचारी की पूर्वोक्त मासों की मजदूरी में से कोई कटौती नहीं की गई हो तो ऐसी कटौती निरीक्षक को लिखित संसूचना देने के पश्चात् ऐसे कर्मचारी की किसी पश्चात्पूर्व मास या मासों की मजदूरी में से की जा सकेगी.

(5) किसी तत्प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, कोई नियोजक, नियोजक के अभिदाय की कटौती किसी कर्मचारी को देय किसी मजदूरी में से नहीं करेगा या उसे कर्मचारी से अन्यथा वसूल नहीं करेगा.

(6) किसी कर्मचारी की मजदूरी में से किसी नियोजक द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक् रूप से काटी गई किसी राशि के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह राशि उस अभिदाय का, जिसके संबंध में वह काटी गई थी, संदाय करने के प्रयोजनार्थ कर्मचारी द्वारा नियोजक को न्यस्त कर दी गई है.

(7) नियोजक, नियोजक और कर्मचारी के अभिदायों का संदाय मण्डल को चेक, बैंक ड्राफ्ट या मनीआर्डर द्वारा या नकद में करेगा, और ऐसे अभिदाय मण्डल को भेजने के व्यय वह स्वयं वहन करेगा.

(8) कल्याण आयुक्त, प्रति वर्ष जुलाई और जनवरी मास की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विहित प्ररूप में एक विवरण राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें नियोजक के स्थापन के संबंध में नियोजक के अभिदाय की कुल रकम दर्शाई जायेगी. कल्याण आयुक्त से ऐसा विवरण प्राप्त होने पर, राज्य सरकार उस स्थापन के संबंध में नियोजक के अभिदाय के बराबर की रकम के अभिदाय का संदाय मण्डल को करेगी.

(9) उपर्युक्त उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा, कर्मचारी तथा नियोजक द्वारा देय अभिदाय की दर को पुनरीक्षित कर सकेगी।”

10. आप सूचना दी जाने के पश्चात् असंदत्त संचित राशियों या जुर्माने पर ब्याज.—(1) यदि कोई नियोजक किन्हीं असंदत्त संचित राशियों का या कर्मचारियों से वसूल किये गये जुर्माने की किसी रकम का, या धारा 9 के अधीन नियोजक के और कर्मचारियों के अभिदाय की रकम का संदाय मण्डल को ऐसे समय के भीतर नहीं करता है जिस समय के भीतर उसका संदाय करने के लिये वह इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन अपेक्षित है, तो कल्याण आयुक्त नियोजक पर यह अपेक्षा करने वाली सूचना तामील करा सकेगा कि वह उस रकम का संदाय उस सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के, जो ऐसी सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन से कम की नहीं होगी, भीतर कर दें।

(2) यदि नियोजक, सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी किसी रकम का संदाय करने में, पर्याप्त हेतुक के बिना, चूक करता है तो वह मण्डल को उस रकम के अतिरिक्त,—

(क) प्रथम तीन मास तक, उस अन्तिम तारीख के जिसको कि उक्त सूचना के अनुसार उसे उसका संदाय कर देना चाहिए था, पश्चात् के प्रत्येक सम्पूरित मास के लिये, उक्त रकम पर डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज, और¹

(ख) उसके पश्चात्, उस समय तक जिसके दौरान वह उस रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम करता रहता है, प्रत्येक संपूरित मास के लिये, उक्त रकम पर दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।²

11. निधि का निहित होना और उसका उपयोग.—(1) निधि, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मण्डल में न्यासी के रूप में निहित होगी और मण्डल द्वारा न्यासी के रूप में धारित और उपयोजित की जाएगी। उसमें के धनों का उपयोग मण्डल द्वारा ऐसे क्रियाकलापों को, जो श्रमिकों और उनके आश्रितों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएं, कार्यान्वित करने के खर्च को चुकाने में किया जाएगा।

1. अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1996 द्वारा जोड़ो गई।

2. अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1996 द्वारा संशोधित।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मण्डल द्वारा निधि में के धनों का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों पर किये जाने वाले व्ययों को चुकाने में किया जा सकेगा :—

- (क) सामुदायिक तथा सामाजिक शिक्षा केन्द्र जिनके अन्तर्गत वाचनालय और पुस्तकालय भी हैं ;
- (ख) सामुदायिक आवश्यकताएं ;
- (ग) बालकों, स्त्रियों तथा प्रौढ़ों के लिये शैक्षणिक सुविधाएं ;
- (घ) खेल तथा खेल-कूद ;
- (ङ) भ्रमण, पर्यटन और अवकाश गृह (हालिडे होम्स) ;
- (च) मनोरंजन और अन्य प्रकार के आमोद-प्रमोद ;
- (छ) स्त्रियों और बेरोजगार व्यक्तियों के लिये गृह उद्योग और सहायक उपजीविकाएं ;
- (ज) सामाजिक स्वरूप के सामुदायिक क्रियाकलाप ;
- (झ) अधिनियम के प्रशासन का खर्च, जिसके अन्तर्गत मण्डल के सदस्यों के भत्ते तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द के वेतन तथा भत्ते आते हैं ; और
- (ञ) ऐसे अन्य उद्देश्य जो मण्डल की राय में श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हों और उनकी सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हों ;

परन्तु निधि का उपयोग किसी ऐसे क्रियाकलाप के लिये वित्त व्यवस्था करने में नहीं किया जाएगा जिसे क्रियान्वित करने के लिये नियोजक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपेक्षित है :

परन्तु यह और भी कि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का सं. 4) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, असंदत संचित राशियां और जुमाने मण्डल को संदत किये जायेंगे और उसके द्वारा उनका व्यय इस अधिनियम के अधीन किया जायगा।

(3) मण्डल, राज्य सरकार के अनुमोदन से श्रमिकों के कल्याण के किसी क्रियाकलाप में सहायता देने के लिये किसी नियोक्ता को किसी स्थानीय प्राधिकरण को या किसी अन्य निकाय को निधि में से अनुदान दे सकेगा।

(4) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई विशिष्ट व्यय निधि में से विकलित किये जाने योग्य है अथवा नहीं, तो वह मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा दिया गया विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) मण्डल के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी स्थापन की श्रम कल्याण निधि से वित्तपोषित किसी क्रियाकलाप को चालू रखे यदि उक्त निधि धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन मण्डल को सम्यक् रूपेण अन्तरित कर दी गई हो।

12. उधार लेने की मण्डल की शक्ति.—मण्डल, समय-समय पर, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से और इस अधिनियम के उपबंधों और ऐसी शर्तों के जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये अपेक्षित कोई राशि उधार ले सकेगा।

'[13. निधि का विनिधान.—जहां निधि या उसके किसी भाग का उपयोग इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये शीघ्र नहीं किया जा सकता है, वहां मण्डल उसका विनिधान, बचत प्रमाण-पत्र क्रय करने में या डाकघर बचत बैंक में या किसी अनुसूचित बैंक के किसी खाते में जमा करके कर सकेगा या उसका विनिधान सरकारी प्रतिभूतियों में कर सकेगा। मण्डल राज्य सरकार के अनुमोदन से इसका विनिधान किसी अन्य रीति में भी कर सकेगा।']

14. संपरीक्षा तथा लेखे.—(1) मण्डल, ऐसे लेखे अभिलेख और रजिस्टर रखवायेगा जो विहित किये जायें।

(2) मण्डल, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र अपने लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति से तैयार करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

(3) मण्डल के लेखाओं की संपरीक्षा संचालक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा की जाएगी और वे मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) के

उपबंधों के अध्यधीन होंगे और उक्त अधिनियम के उपबंध मण्डल को उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि मण्डल स्थानीय प्राधिकरण हो किन्तु इस उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए कि मण्डल के संबंध में प्रधान अधिकारी से मण्डल का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें।

[14-क. मण्डल की वार्षिक रिपोर्ट.—(1) मण्डल के सचिव, मण्डल के कार्यों और निधि के संबंध में वित्तीय वर्ष के लिये एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट मण्डल के समक्ष आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम सम्मेलन में रखी जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने की रीति और उसकी अन्तर्वस्तु ऐसी होगी जैसा कि, विनियमों द्वारा विहित किया जाए।]

(2) उपधारा (1) के अधीन मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली रिपोर्ट की एक प्रति और उसके साथ लेखाओं का वार्षिक विवरण और संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि उपलब्ध हो तो, मण्डल के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी।

(3) मण्डल द्वारा यथा अनुमोदित रिपोर्ट की एक प्रति, सचिव द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित करके राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

14-ख. नियोजकों द्वारा क्रियाकलापों की रिपोर्ट.—प्रत्येक नियोजक, उसके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये कल्याण क्रियाकलापों संबंधी एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसा कि धारा 33-क के अधीन बनाए गए विनियमों में उपबंधित किया जाय, कल्याण आयुक्त को भेजेगा।

14-ग. मण्डल की शक्तियों का प्रत्यायोजन.—मण्डल इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों में से कोई शक्ति, विशेष संकल्प द्वारा, ऐसी शर्तों के, जो कि संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाए, अध्यधीन रहते हुए अध्यक्ष या कल्याण आयुक्त को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

अध्याय 4—अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की नियुक्ति

15. कल्याण आयुक्त अपर या उप कल्याण आयुक्त.—(1) (एक) कल्याण आयुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(दो) कल्याण आयुक्त मंडल का प्रधान कार्यपालक अधिकारी होगा।

(तीन) कल्याण आयुक्त का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को सम्यक् रूप से कार्यान्वित किया जाता है और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन लिये गये मण्डल के विनिश्चयों को कार्यान्वित किया जाता है। इसके लिये उसे इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे आदेश के जारी करने की शक्ति होगी जिसे वह ठीक समझे।

(2) राज्य सरकार, एक या अधिक व्यक्तियों को अपर या उप कल्याण आयुक्त के रूप में भी नियुक्त कर सकेगी। अपर या उप कल्याण आयुक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसे कि कल्याण आयुक्त मण्डल के अनुमोदन से, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। इस प्रयोजन के लिये, मण्डल इस बात के लिये सक्षम होगा कि वह ऐसा क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र नियत करे जिसके/जिनके भीतर अपर या उप कल्याण आयुक्त उन शक्तियों का प्रयोग तथा उन कृत्यों का पालन करेगा जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किये गये हों।

(3) मण्डल के सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

16. निरीक्षकों की नियुक्ति.—(1) राज्य सरकार, निधि देय राशियों को अभिनिश्चित और सत्यापित करने हेतु अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी। मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये निरीक्षकों को भी उन स्थापनों के संबंध में जिनको यह अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निरीक्षक समझा जाएगा।

(2) कोई निरीक्षक,—

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसी सहायता के साथ यदि कोई हो जो वह ठीक समझे, किसी परिसर में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रयोग कर सकेगा।

(ख) ऐसी "अन्य शक्तियों का प्रयोग" कर सकेगा जो विहित की जाये।

17. अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति. — मण्डल को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाए, धारा 15 के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारियों से अन्यथा ऐसे अधिकारियों, लिपिकीय तथा कार्यपालिक कर्मचारीवृन्द को नियुक्त करने की शक्ति होगी जो निधि से विचरपोषित क्रियाकलापों को कार्यान्वित करेंगे तथा उनका पर्यवेक्षण करेंगे।¹

18. सरकारी सेवकों की प्रतिनियुक्ति. — राज्य सरकार, मण्डल के परामर्श से, किसी सरकारी सेवक को मण्डल की सेवा में प्रतिनियुक्ति कर सकेगी और ऐसे सेवकों की प्रतिनियुक्ति के निबन्धन और शर्तें राज्य सरकार द्वारा, मण्डल के परामर्श से अवधारित की जाएंगी और इस प्रकार अवधारित निबन्धन और शर्तें मण्डल के लिये आवद्धकर होंगी.²

19. दण्ड अधिरोपित करने की शक्ति. — इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की राय में मण्डल का कोई अधिकारी या सेवक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षावान है तो वह, विहित रीति में जांच करने के पश्चात्, उसे निलंबित कर सकेगी या कोई ऐसा अन्य दण्ड अधिरोपित कर सकेगी जो विहित किया जाय, और यदि राज्य सरकार की राय में वह अपने नियोजन के लिये अनुपयुक्त है तो वह उसे सेवा से हटा सकेगी.

20. सेवा शर्तें. — शर्तों की पद्धति तथा वेतनमानों को सम्मिलित करते हुए सेवा की शर्तें, —

(क) धारा 15 के अधीन नियुक्त व्यक्तियों के लिये ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ;

21. [(ख) धारा 17 के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्तियों के लिये ऐसी होंगी जो मण्डल द्वारा धारा 33-क के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं.]

21. व्यय पर निर्बन्धन. — इस अध्याय के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारियों और सेवकों पर किया जाने वाला व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्यय, निधि की वार्षिक आय के विहित प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.

-
1. अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1996 द्वारा प्रतिस्थापित.
 2. अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1996 द्वारा संशोधित.
 3. अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1996 द्वारा प्रतिस्थापित.

अध्याय 5—प्रकीर्ण

22. **अभिलेख मंगाने की शक्ति.**—राज्य सरकार, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी मण्डल के अभिलेख मंगा सकेगा. उनका निरीक्षण कर सकेगा और मण्डल के काम-काज का पर्यवेक्षण कर सकेगा.

23. **राज्य सरकार द्वारा मण्डल को निर्देश.**—राज्य सरकार, मण्डल को ऐसे निर्देश दे सकेगी जो निधि में से व्यय के संबंध में या इस अधिनियम के अन्य प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उसकी राय में, आवश्यक या समीचीन हों, और मण्डल ऐसे निर्देशों का पालन करेगा.

[24. **मण्डल को देय राशियों की वसूली का ढंग.**—(1) इस अधिनियम के अधीन मण्डल को या निधि में देय कोई राशि, वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मण्डल की ओर से भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी.]

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों को, जो श्रम अधिकारी के पद से निम्न पद के नहीं हों, उपधारा (1) के अधीन राशियों की वसूली के लिये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 147 के अधीन तहसीलदार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगी.]

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत किये गये-अधिकारी किसी भी बकाया की वसूली के लिये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 147 के अधीन कोई भी आदेशिका जारी करने के पूर्व किसी व्यक्ति/क्रमी पर मांग की सूचना की तामील कर सकेंगे.]

(4) पूर्वोक्त संहिता के अध्याय 11 के अन्य समस्त उपबंध मण्डल को या उसकी निधि में इस अधिनियम के अधीन देय राशियों की वसूली के लिये, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.]

25. **मण्डल का अतिष्ठान.**—(1) यदि, राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि मण्डल ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने

1. अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1996 द्वारा प्रतिस्थापित.

2. अधिनियम क्रमांक 11 सन् 1996 द्वारा प्रतिस्थापित.

में व्यतिक्रम किया है या अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, या धारा 23 के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी निर्देश का पालन नहीं किया है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मण्डल को अतिष्ठित कर सकेगी और उसका पुनर्गठन उस रीति में कर सकेगी जो मण्डल के गठन के लिये विहित की गई है :

परन्तु इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी करने के पूर्व, राज्य सरकार, मण्डल को इस बाबत हेतु दर्शित करने के लिये युक्तियुक्त अवसर देगी कि उसे क्यों न अतिष्ठित कर दिया जाय और वह मण्डल द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण और आपत्तियों पर यदि कोई हों, विचार करेगी.

(2) मण्डल के अतिष्ठित हो जाने के पश्चात् तथा उस समय तक जब तक उसका पुनर्गठन नहीं हो जाता, मण्डल की इस अधिनियम के अधीन की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग या उनका पालन राज्य सरकार द्वारा ऐसे अधिकारी या अधिकारियों द्वारा जिन्हें राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करें, किया जाएगा.

26. सदस्य आदि लोक सेवक होंगे.—मण्डल के सदस्य और इस अधिनियम की धारा 15, 16, 17, 18 और 25 के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे.

27. सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिये संरक्षण.—किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी भी ऐसी बात के संबंध में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई वाद अधियोजन या अन्य कार्यवाहियां नहीं होंगी.

28. छूट.—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी स्थापन को या स्थापनों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं उपबंधों से छूट ऐसी शर्तों के अधीन दे सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय.

29. केन्द्रीय अधिनियम 1936 का सं. 4 का संशोधन.—मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का सं. 4) की धारा 8 की उपधारा (8) में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

“परन्तु किसी ऐसे कारखाने या स्थापन की दशा में, जिसे मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के उपबंध लागू होते हैं, ऐसे समस्त स्थापन उक्त अधिनियम के अधीन गठित

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि में जमा किये जायेंगे और उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उपयोजित किये जायेंगे."

30. कतिपय सम्पत्तियों का निहित होना.—राज्य सरकार, आदेश द्वारा अपनी जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति को, जो विभागीय श्रम कल्याण केन्द्रों को चलाने में उपयोजित की जा रही हो, मण्डल को अन्तरित कर सकेगी.

31. निरीक्षक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा पहुंचाने के लिये या दस्तावेज आदि पेश न करने के लिये शास्ति.—(1) कोई भी व्यक्ति, जो किसी निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में जानबूझकर बाधा पहुंचायेगा, या किसी निरीक्षक द्वारा मांग की जाने पर किन्हीं ऐसे रजिस्ट्रों, अधिलेखों या अन्य दस्तावेजों को, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में रखे गये हैं, निरीक्षण के लिये पेश नहीं करेगा, या मांग की जाने पर ऐसे किन्हीं दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपियों का उसे प्रदाय नहीं करेगा, वह दोषसिद्धि पर,—

(क) प्रथम अपराध के लिये, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से ; और

(ख) द्वितीय या पश्चात्तर्वर्ती अपराध के लिये, कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा.

परन्तु जहां अपराधी को केवल जुर्माने से दण्डादिष्ट किया जाता है. वहां जुर्माने की रकम एक सौ रुपये से कम नहीं होगी.

'["(2) यदि कोई नियोजक,—'

(क) ऐसे अभिदाय या किसी ऐसी राशि का, जिसका भुगतान करने के लिये वह इस अधिनियम के अधीन दायी है, भुगतान करने में चूक करता है, या

(ख) इस अधिनियम की या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों की किन्हीं अपेक्षाओं के किसी ऐसे उल्लंघन का या अननुपालन का दोषी है जिसके संबंध में कोई शास्ति उपबंधित नहीं की गई है,

तो वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा."]

32. अधिकारिता के संबंध में उपबंध.—(1) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय, धारा 31 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा.

(2) ऐसे अपराध के लिये कोई अभियोजन निरीक्षक द्वारा कल्याण आयुक्त की पूर्व मंजूरी से ही संस्थित किया जाएगा अन्यथा नहीं.

(3) कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस अपराध के बारे में परिवाद उस तारीख से जिसको कि अपराध का किया जाना अभिकथित है, छह मास के भीतर न किया गया हो.

33. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधधीन रहते हुए बना सकेगी.

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) (एक) वे अन्तराल जिन पर असंदत संचित राशियों का धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन संदाय किया जाएगा ;

(दो) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन वह अभिकरण जो राशियों का संग्रहण करेगा और वे अन्तराल जिन पर और वह रीति जिसमें ऐसी राशियों का संदाय या संग्रहण किया जायगा ;

(ख) (एक) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन मण्डल में नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की तथा स्वतंत्र सदस्यों की संख्या ;

(दो) मण्डल के सदस्यों को धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन देय भत्ते, यदि कोई हो ;

(ग) धारा 7 के अधीन समिति का गठन तथा समिति के सदस्यों का कार्यकाल ;

(घ) वे विशिष्टियाँ जो धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन सूचना में अंतर्विष्ट होंगी ;

(ङ) वह प्ररूप जिसमें धारा 9 की उपधारा (8) के अधीन विवरण प्रस्तुत किया जाएगा ;

(च) वे लेखें, अभिलेख और रजिस्टर, जो धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन रखे जायेंगे तथा धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन वह प्ररूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा ;

(छ) वे शक्तियाँ जिनका प्रयोग किसी निरीक्षक द्वारा धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन किया जाएगा ;

(ज) धारा 17 के अधीन शर्तें जिनके अध्याधीन रहते हुए मण्डल अधिकारियों और लिपिकीय तथा कार्यपालक कर्मचारीवृन्द को नियुक्त कर सकेगा ;

(झ) धारा 19 के अधीन वह रीति जिसमें जांच की जाएगी ;

(ञ) धारा 20 के खण्ड (क) के अधीन किसी व्यक्ति की भर्ती की पद्धति तथा सेवा की शर्तें ;

(ट) निधि की वार्षिक आय का वह प्रतिशत जिससे अधिक का व्यय मण्डल कर्मचारीवृन्द पर तथा अन्य प्रशासनिक मामलों पर नहीं कर सकेगा ;

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो, या विहित किया जाय.

1["33-क. विनियम बनाने की शक्ति.—(1) मण्डल, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये इस अधिनियम से तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों से असंगत न होने वाले विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

- (एक) धारा 14-क के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने की रीति और उसकी अंतर्वस्तु ;
- (दो) धारा 17 के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्तियों के कार्यकरण और सेवा की शर्तों का अवधारण ;
- (तीन) मण्डल के अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द के संबंध में गोपनीय अभिलेखों को तैयार करना और उन्हें बनाए रखना और मण्डल के अन्य अभिलेखों को तैयार करना और उन्हें बनाए रखना ;
- (चार) कोई अन्य विषय जिसका उपबंध विनियमों द्वारा किया जाना हो या जिसका उपबंध विनियमों द्वारा किया जाना अपेक्षित है."

34. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशाल करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों :

परन्तु कोई ऐसा, आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा.

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि नियम, 1984

श्रम विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 1986

क्र. 346-2592-सोलह-बी-85.—मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्र. 36 सन् 1983) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि नियम, 1984 है.

(2) ये ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983);

(ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ग) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा.

3. जुर्माने तथा उपसंदत्त संचित राशियों का संदाय.—(1) उस तारीख से जिसको कि अधिनियम किसी क्षेत्र में प्रवृत्त होता है तीस दिन के भीतर ऐसे क्षेत्र के ऐसी स्थापना का प्रत्येक नियोजक उस क्षेत्र में स्थापित किसी स्थापना के बारे में—

(क) उक्त तारीख के पूर्व कर्मचारियों से वसूल किये गये जुर्माने की समस्त रकमों का, जो कि उपयोग न किये जाने के कारण उस तारीख को शेष बची हों, और

(ख) उपरोक्त तारीख को नियोजक द्वारा धारित समस्त असंदत संचित राशियों का, दर्ज संदाय चैक, बैंक ड्राफ्ट, धनादेश या नगदी द्वारा मण्डल को करेगा।

(2) उपनियम (1) के अनुसार किये गये प्रथम संदाय के पश्चात् प्रत्येक नियोजक कर्मचारियों के वसूल किये गये जुर्माने की समस्त रकम तथा 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर तथा 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान समस्त असंदत संचित राशियों का संदाय प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर मण्डल को करेगा।

(3) उपनियम (1) तथा (2) के अधीन संदाय के साथ संदत की गई रकम के पूर्ण व्यौरों का विवरण प्रत्येक मामले में संलग्न किया जाएगा।

(4) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में उल्लिखित अन्य समस्त अन्य रकमों का भी संदाय मण्डल को किया जाएगा।

(5) प्रत्येक नियोजक ऐसे कर्मचारियों के संबंध में जिनके नाम क्रमशः 30 जून तथा 31 दिसम्बर को स्थापना के रजिस्टर में दर्ज हो नियोजक के अभिदाय तथा कर्मचारी के अभिदाय का प्रारूप "क" में विवरण धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन अभिदाय का संदाय करने के साथ मण्डल को प्रस्तुत करेगा।

4. शोध्य संदायों के लिये सूचना.—(1) कल्याण आयुक्त ऐसी जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् और यदि आवश्यक हो तो निरीक्षक से रिपोर्ट मंगाने के पश्चात् किसी नियोजक को एक सूचना तामील कर सकेगा कि वह कर्मचारियों से वसूल किए गए जुर्माने के किसी भाग का या उसके द्वारा धारित उपसंदत संचित राशियों का, जिसका संदाय नियोजक को नियम 3 के अनुसार नहीं किया है या धारा 9 के अधीन उसके द्वारा देय अभिदाय का संदाय सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के जो ऐसी सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन से कम की नहीं होगी भीतर कर दें।

(2) उपनियम (1) के अधीन सूचना की तामील नियोजक को या तो व्यक्तिशः या रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाएगी :

परन्तु यदि कोई नियोजक ऐसी सूचना प्राप्त करने से इंकार करता है या जांच अधिकारी द्वारा इस दिष्णगी के साथ कि नियोजक ने लेने से इंकार किया, वापिस लौटा दी जाती है या उसकी तामील नहीं कर जा सकी हो तो यदि उसकी एक प्रति स्थापना के मुख्य प्रवेश द्वार

पर या उसके पास किसी यथोचित स्थान पर चिपका दी जाती है तो यह समझा जाएगा कि उसकी तामील हो गई है.

5. नाम निर्देशित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या.—मण्डल में धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन नाम निर्देशित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या निम्नानुसार होगी :—

- (1) नियोजकों के प्रतिनिधि—6
- (2) कर्मचारियों के प्रतिनिधि—6
- (3) स्वतंत्र सदस्य जिनमें कम से कम एक महिला होगी—7

6. अध्यक्ष तथा सदस्यों को भत्ते.—(1) अध्यक्ष यदि वह अशासकीय सदस्य है तो उन्हें ऐसा भत्ता एवं अन्य सुविधा प्राप्त करने की पात्रता रहेगी जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जावे.

(2) सचिव को अपवर्जित करते हुए मण्डल के अन्य सदस्य प्रत्येक सम्मेलन में उपस्थित होने के लिये 25 रुपया भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे.

(3) मण्डल के अध्यक्ष तथा जब वे कर्तव्य पर यात्रा कर रहे हों, उसी प्रकार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता के लिये हकदार होंगे जो कि राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को अनुज्ञेय है.

7. मण्डल द्वारा काम-काज का संचालन.—(1) मण्डल का सम्मिलन प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार तथा जब कभी आवश्यक होगा ;

(2) मण्डल के समस्त सदस्यों को सम्मिलन की तारीख, समय तथा स्थान और उसमें किया जाने वाला काम-काज का संव्यवहार विनिर्दिष्ट करते हुए 15 पूरे दिन की सूचना दी जाएगी :

परन्तु यदि अध्यक्ष की राय में संपादित किया जाने वाला काम-काज आकस्मिक प्रकृति का हो तो संक्षिप्त सूचना दी जा सकेगी.

(3) मण्डल के किसी सम्मिलन की गणपूर्ति के लिये सदस्यों की आवश्यक संख्या सात होगी जिसमें से कम से कम एक-एक नियोजकों में से, कर्मचारियों में से तथा स्वतंत्र सदस्यों में से होगा।

7. (3) (अ) यदि सदस्य मण्डल के किसी सम्मिलन में समाविष्ट होने में असमर्थ हो तो वह मण्डल अध्यक्ष को संबोधित एक लिखित एवं स्वहस्ताक्षरित अधिकार-पत्र, जिसमें उसके बैठक में उपस्थित रहने की असमर्थता के कारण स्पष्ट किये गये हों, द्वारा अपने संगठन, जिसका वह मण्डल में प्रतिनिधित्व करता है, के किसी प्रतिनिधि को, अपने एवज में मण्डल को उस सम्मेलन में अपने स्थान पर सम्मिलित होने के लिये नियुक्त कर सकता है। परन्तु ऐसी नियुक्ति तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि—

- (1) ऐसी नियुक्ति को मण्डल के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया हो एवं
- (2) अधिकार पत्र जिसमें एवजी के रूप में नियुक्त किया हो मण्डल के अध्यक्ष को सम्मिलन के लिये नियत तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व प्राप्त हो गया हो।

वैध तरीके से नियुक्त एवजी को, मण्डल को उस सम्मिलन के संबंध में जिसके लिये वह नियुक्त किया गया हो, सदस्य के समस्त अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त होंगी।

(4) मण्डल के प्रत्येक सम्मिलन की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जायेगी या यदि अध्यक्ष किसी कारण से उसमें उपस्थित होने में असमर्थ हो तो उपस्थित सदस्यों में से किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो सम्मिलन द्वारा इस अवसर के लिये अध्यक्ष के रूप में चुना जाय।

(5) यदि उपनियम (3) में अधिकथित किये गये अनुसार गणपूर्ति न हो तो अध्यक्ष सम्मिलन के लिये नियत समय से तीस मिनट तक प्रतीक्षा करने के पश्चात् सम्मिलन को किसी अन्य दिन किसी ऐसे समय पर करने के लिये जैसा कि वह नियत करें, स्थगित करेगा। ऐसे स्थगित सम्मिलन की सूचना मण्डल के प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेगी और मूल सम्मिलन के लिये नियत काम-काज स्थगित सम्मिलन के समक्ष लाया जाएगा तथा ऐसे सम्मिलन में निपटाया जायेगा चाहे उसमें गणपूर्ति हो या न हो।

(6) मण्डल के सम्मिलन के समक्ष रखे गये समस्त प्रश्न सम्मिलन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे। मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(7) सचिव, तथा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत मण्डल का कोई अन्य अधिकारी मण्डल के सम्मिलन की कार्यवाही का कार्यवृत्त अभिलिखित करेगा और उसमें उपस्थित सदस्यों के नाम सम्मिलित करेगा। ऐसे कार्यवृत्त की एक प्रति, जैसे ही मण्डल द्वारा उसकी पुष्टि की जाय, राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

8. समितियों का गठन.—(1) समिति में, जो धारा 7 के अधीन गठित की जा सकेगी, 7 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जिनमें से मण्डल के कम से कम 3 सदस्य होंगे।

(2) किसी विनिर्दिष्ट काम के लिये नियुक्त समिति के सदस्यों की अवधि, उक्त काम को पूर्ण करने में ली गई कालावधि होगी, परन्तु किसी भी मामले में ऐसी अवधि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन नाम निर्देशित सदस्यों की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(3) अन्य समितियों के सदस्यों की अवधि धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन नाम निर्देशित सदस्यों की अवधि की सहायमानी (कोटर्मिनस) होगी।

9. धारा 8 (3) के अधीन सूचना में विशिष्टियों का सम्मिलित किया जाना.— धारा 8 की उपधारा (3) में निर्देशित सूचना में निम्नलिखित ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे, अर्थात् :—

- (क) उस स्थापना का नाम तथा पता जिसमें असंदत संचित राशि अर्जित की गई थी ;
- (ख) मजदूरी की कालावधि जिसके दौरान असंदत संचित राशि अर्जित की गई थी ;
- (ग) असंदत संचित राशि की रकम ;
- (घ) कर्मचारियों की सूची और उनमें से प्रत्येक के बारे में मण्डल की संदत की गई असंदत संचित राशि की रकम

10. धारा 9 (8) के अधीन विवरण.—कल्याण आयुक्त द्वारा धारा 9 की उपधारा (8) के अधीन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाने वाला प्ररूप "5-ख" में होगा।

11. निधि के लेखे.—(1) 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये निधि के लेखे प्ररूप "ग" में रखे जायेंगे।

(2) मण्डल निम्नांकित रजिस्टर रखवाएगा :—

- (क) विभिन्न कल्याण क्रियाकलापों के लिये अलग-अलग फीस रजिस्टर ;
- (ख) असंदत्त संचित राशि का लेखा रजिस्टर ;
- (ग) स्थापना से असंदत्त संचित राशियों की त्रैमासिक प्राप्ति का रजिस्टर तथा सूचनाओं के प्रकाशन का रजिस्टर ;
- (घ) धारा 8 के अधीन असंदत्त संचित राशियों के दावों को निपटाने हेतु संदाय का रजिस्टर ;
- (ङ) नियम 3 के अधीन असंदत्त संचित राशियों तथा जुमनि का रजिस्टर ;
- (च) धारा 9 के अधीन प्राप्त किये गये अभिदाय का रजिस्टर ;
- (छ) नियम 6 के अधीन सदस्यों को भत्तों के संदाय का रजिस्टर ;
- (ज) मण्डल की स्थावर सम्पत्तियों का रजिस्टर ;
- (झ) मण्डल की जंगम सम्पत्तियों का रजिस्टर ;
- (ञ) धारा 10 के अधीन शास्तिक ब्याज का रजिस्टर ;
- (ट) मण्डल को दिये गये स्वैच्छिक दानों का रजिस्टर ;
- (ठ) राज्य सरकार द्वारा संदाय किया गया सहायता अनुदान या सहायता (सबसिडी) का रजिस्टर ;
- (ड) धारा 12 के अधीन उधार ली गई राशियों का रजिस्टर ;
- (ढ) राज्य सरकार द्वारा दिये गये उधार का रजिस्टर ;
- (ण) धारा 11(3) के अधीन सहायता अनुदान का रजिस्टर ;

(त) धारा 11 की उपधारा (2) में उल्लिखित कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करने में हुए व्यय के लिये अलग-अलग रजिस्टर ;

(थ) कर्मचारीवृन्द की संख्या, उनकी उपस्थिति अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, वेतन अग्रिम, उधार से संबंधित रजिस्टर तथा ऐसे अन्य रजिस्टर जिन्हें कल्याण आयुक्त मण्डल के उचित प्रशासन के लिये आवश्यक समझे.

12. लेखाओं का वार्षिक विवरण.—मण्डल के लेखाओं का वार्षिक विवरण प्ररूप "घ" में तैयार किया जाएगा.

13. मण्डल का बजट.—(1) कल्याण आयुक्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये वजट प्राक्कलन तैयार करवायेगा और आगामी वित्तीय वर्ष के 1 दिसम्बर को या उसके पूर्व मण्डल के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिये रखवायेगा और तत्पश्चात् मण्डल द्वारा यथा स्वीकृत बजट प्राक्कलन 30 दिसम्बर या उसके पूर्व राज्य सरकार को अग्रेषित किया जायेगा.

(2) राज्य सरकार उपनियम (1) के अधीन उसके अनुमोदन के लिये प्रस्तुत प्राक्कलन में किसी भी संबंध में किसी भी रीति में, जैसा कि वह उचित समझे संशोधन, उपान्तरण या परिवर्तन कर सकेगी और उसे वजट प्राक्कलन की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर उसको अनुमोदन के साथ संशोधन, उपान्तरण या परिवर्तन सहित या रहित लौटा देगी.

(3) उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन वित्तीय वर्ष के लिये मण्डल का बजट होगा और मण्डल की मुद्रा के अधीन जारी किया जायेगा तथा उस पर अध्यक्ष कल्याण आयुक्त तथा सचिव के हस्ताक्षर किये जायेंगे, वजट को एक अधिप्रमाणित प्रति फरवरी 2 मार्च की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार को अग्रेषित की जायेगी.

14. अतिरिक्त व्यय.—(1) यदि वित्तीय वर्ष के दौरान वजट में दिये गये प्रावधानों से अधिक व्यय उपगत करना आवश्यक हो जाय तो मण्डल प्रस्तावित व्यय के ब्यौरे राज्य सरकार को तुरन्त प्रस्तुत करेगा और वह रीति विनिर्दिष्ट करेगा जिससे ऐसे अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करना प्रस्तावित है.

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर, राज्य सरकार या तो प्रस्तावित अतिरिक्त व्यय को, ऐसे उपान्तरणों के साथ जिन्हें वह आवश्यक समझे या उपान्तरणों के बिना

पूर्णतः या अंशतः अनुमोदित कर सकेंगी या उसे पूर्ण रूप से नामंजूर कर सकेंगी, प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा पारित किये गये आदेश की एक प्रति मण्डल को भेजी जायेगी।

15. निधि में से भुगतान करने का ढंग.—निधि में से भुगतान—

- (क) जहां देय रकम रुपये 250 से कम हो, नगद में किया जायेगा, और
- (ख) जहां देय रकम रुपये 250 से अधिक हो, वहां बैंक ड्राफ्ट या कल्याण आयुक्त द्वारा जारी किये गये चैक से किया जायेगा :

परन्तु किसी विशिष्ट मामले में मण्डल अभिलिखित किये जाने वाले विशेष कारणों से उसके द्वारा देय किसी रकम की वावत् नगद भुगतान प्राधिकृत कर सकेगा।

16. निरीक्षकों की अतिरिक्त शक्तियाँ.—प्रत्येक निरीक्षक को अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये किसी नियोजन को अपने निरीक्षण के लिये कोई दस्तावेज पेश करने तथा ऐसे किसी दस्तावेज का सत्य प्रतिलिपि प्रदाय करने और लिखित में उसे विवरण देने के लिये अपेक्षित करने की भी शक्तियाँ होंगी।

17. अधिनियम की धारा 15 तथा 16 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारीवृन्द किये जाने वाले अधिकारियों के अतिरिक्त मण्डल आदि की संख्या में अधिकारियों, लिपिकीय कार्यपालिक तथा अन्य कर्मचारीवृन्द की संख्या होगी जिसे मण्डल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवधारित करें :

परन्तु जब कभी इस प्रकार अवधारित संख्या को परिवर्तित करने की आवश्यकता हो तब मण्डल उन्हें न्यायोचित बतलाते हुए आवश्यक प्रस्ताव अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को भेजेगा।

18. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—नियम 17 के अधीन, अवधारित पदों का वर्गीकरण, वेतनमान तथा भत्ते ऐसे होंगे जो मण्डल द्वारा जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर अवधारित किये जायें।

19. भरती की पद्धति.—(1) मण्डल की सेवा में भरती निम्नलिखित पद्धतियों से की जायेगी, अर्थात् :—

- (क) प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा, सीधी भरती करके;

(ख) चयन द्वारा सीधी भरती करके;

(ग) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा; और

(घ) राज्य सरकार के कर्मचारियों को धारा 18 के अधीन प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त करके.

(2) सीधी भरती तथा पदोन्नति से भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, मण्डल द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवधारित किये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिसका/जिनका कि भरती को किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरी जाना अपेक्षित हो भरने के प्रयोजन के लिये अपनाई जाने वाली भरती की पद्धति या पद्धतियां तथा प्रत्येक पद्धति द्वारा भरती किये जाने वाले रिक्तियों की संख्या कल्याण आयुक्त द्वारा प्रत्येक अवसर पर अवधारित की जायेगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि कल्याण आयुक्त की राय में, सेवाओं की आवश्यकता से ऐसा अपेक्षित हो तो कल्याण आयुक्त मण्डल तथा राज्य सरकार के अनुमोदन से सेवा में भरती के लिये उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट पद्धतियों से भिन्न पद्धति अपनायेगा जिसे वह वह इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे.

20. सेवा में नियुक्ति.—धारा 15 तथा 16 में उल्लिखित नियुक्तियों के सिवाय समस्त नियुक्तियां मण्डल के अनुमोदन से कल्याण आयुक्त द्वारा की जायेगी तथा ऐसी नियुक्त नियम 19 में विनिर्दिष्ट भरती की पद्धतियों में से किसी एक पद्धति द्वारा चयन के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नहीं.

21. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें.—चयन किये जाने हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना चाहिये; अर्थात्:

(क) चयन प्रारम्भ होने की तारीख से ठीक आगामी पहली जनवरी को उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 30 वर्ष की आयु पूरी न की हो.

(ख) अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जायेगी :—

- (एक) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी की दशा में 35 वर्ष तक ;
- (दो) यदि मण्डल की सेवा में कोई पद धारण करने बाबत कोई अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा भरे जाने वाले किसी अन्य पद के लिये आवेदन करता है तो उसे अपनी आयु में से, उसके द्वारा की गई कुल सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा तथापि इस बात के अध्याधीन रहते हुए ऐसा करने के परिणामस्वरूप उसकी आयु अधिकतम आयु से 5 वर्ष से अधिक न होगी।
- (तीन) छंटनी किये गये सरकारी सेवक की दशा में, उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु उसके परिणामस्वरूप उसकी आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण.—पद छंटनी किये गये शासकीय सेवक का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश श्रम सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1974 में उसके लिये दिया गया है।

- (चार) भूतपूर्व सैनिक की दशा में, उसके द्वारा पूर्ण की गई समस्त प्रशिक्षण सेवा की कालावधि, उसकी आयु में से कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.—पद भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो मध्यप्रदेश श्रम सेवा राजपत्रित भरती नियम, 1974 के नियम 8 में वर्णित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की लगातार कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा जिनका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा मण्डल की सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व भित्तव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप

कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छंटनी की गई थी अथवा जिसे अधिशिष्ट घोषित कर दिया गया था।

- (ग) उसके पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएँ होनी चाहिये जो मण्डल द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विभिन्न पदों के लिये अभिकथित की गई हो :

परन्तु आपवादिक मामलों में तथा सेवा की अत्यावश्यकताओं में मण्डल कल्याण आयुक्त की सिफारिश पर ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो यद्यपि इस खण्ड में विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से कोई भी अर्हता धारण न करता हो फिर भी उसमें अन्य संस्थाओं से ऐसे स्तर से परीक्षा उत्तीर्ण की हों जो मण्डल की राय में अभ्यर्थी का परीक्षा या चयन में प्रवेश न्यायोचित ठहराता हो।

- (घ) वह मण्डल द्वारा नियत की गई फीस चुकायेगा।

22. कल्याण आयुक्त के विनिश्चय की अन्तिमता.—नियम 21 के खण्ड (ग) के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, किसी अभ्यर्थी के चयन के लिये पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे कल्याण आयुक्त द्वारा प्रवेश का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में उपस्थित होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा या उसका साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

23. अनर्हता.—किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी प्रकार का समर्थन अभिप्राप्त करने का प्रयास उसके चयन के लिये कल्याण आयुक्त द्वारा अनर्ह ठहराया जा सकेगा।

24. प्रतियोगी परीक्षा.—(1) सेवा में भरती के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अन्तर्गत पर आयोजित की जावेगी जैसा कि कल्याण आयुक्त मंडल के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करें।

(2) परीक्षा जिसमें साक्षात्कार भी सम्मिलित है उस प्रक्रिया के अनुसार जिसे कि मंडल अवधारित करें कल्याण आयुक्त द्वारा संचालित की जायेगी।

25. चयन.—(1) सेवा में चयन द्वारा सीधी भरती ऐसे अंतरालों पर की जायेगी जिन्हें कल्याण आयुक्त मंडल के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करें.

(2) उपनियम (1) के अधीन चयन के प्रयोजनों के लिये, विहित अर्हतायें रखने वाले व्यक्तियों के नाम रोजगार कार्यालय से अभिप्राप्त किये जायेंगे.

(3) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन कल्याण आयुक्त या अन्य अधिकारी अथवा चयन समिति द्वारा जैसे कि मंडल द्वारा अवधारित किया जाय उनका साक्षात्कार लिये जाने के पश्चात् किया जायेगा :

परन्तु अभ्यर्थी को लिखने या टाईप करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिये साक्षात्कार के पूर्व लिखित परीक्षा भी ली जा सकेगी.

26. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण.—(1) नियम 19 के उपनियम (1) के खंड (क) तथा (ख) के अधीन सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों का पंद्रह प्रतिशत तथा अठारह प्रतिशत ऐसे अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखा जायेगा जो क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों.

(2) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों की भरते समय, उन अभ्यर्थियों को, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों निपुण के लिये विचार उसी क्रम में उनके नाम नियम 27 में निर्दिष्ट सूची में आये हों चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका अपेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(3) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य उनके लिये आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियों साधारण अभ्यर्थियों में से नहीं भरी जायेगी किन्तु रिक्तियों को तत्काल पुनः विज्ञापित किया जायेगा और चयन द्वारा सीधी भरती के मामले में नये नाम रोजगार कार्यालय से अभिप्राप्त किये जावेंगे यदि फिर भी कोई रिक्तियां न भरी जा सकें तो वे साधारण अभ्यर्थियों में से भरी जायगी और यथास्थिति पश्चात्पूर्वी परीक्षाओं या चयनों के लिये अतिरिक्त रिक्तियों के समतुल्य संख्या में रिक्त स्थान अनुसूचित जातियों, जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे :

परन्तु अतिरिक्त रिक्तियों को या उनमें से ऐसी रिक्तियों को जो कि भरी न गई हो. सम्मिलित करते हुए समस्त आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये दो परीक्षाओं या चयनों के बाद भी यदि पर्याप्त संख्या में उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वे व्यर्थगत हो जायेंगी.

27. अर्ह अभ्यर्थियों की सूची.—(1) जहां भारती-प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाय, वहां कल्याण आयुक्त उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने ऐसे स्तर से जो कि मण्डल द्वारा नियम 24 के उपनियम (2) के अधीन अवधारित किया जाय अर्हता प्राप्त की हो तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों को, जो यद्यपि उस स्तर से अर्ह न हो, फिर भी जो कल्याण आयुक्त द्वारा मण्डल के प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, मण्डल की सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हों, गुणानुक्रम से व्यवस्थित एक सूची तैयार करेगा, सूची मण्डल के प्रशासनिक कार्यालय के सूचना, फलक पर चिपकाई जायेगी.

(2) इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के संबंध में उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों.

(3) जहां भारती चयन द्वारा की जाय वहां कल्याण आयुक्त ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें वह यथास्थिति, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार अथवा केवल साक्षात्कार के आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त समझता है, अधिमानता के क्रम में रखते हुए तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों का यद्यपि जो अधिकथित स्तर से अर्ह न हो किन्तु मण्डल के प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए कल्याण आयुक्त द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया जाय, एक सूची तैयार करेगा.

(4) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना नियुक्ति का अधिकार तब तक प्रदान नहीं करता जब तक कि कल्याण आयुक्त का ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि यह आवश्यक समझे यह समाधान न हो जाय कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सब तरह से उपयुक्त है.

28. विभिन्न पदोन्नति के लिये पात्रता.—(1) मंडल नियम 19 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु मापदण्ड अधिकथित करेगा.

(2) मंडल तीन सदस्यों की एक समिति का गठन करेगा, जिनमें पास अभ्यर्थियों का पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये दो अधिकारी तथा मण्डल का एक सदस्य होगा पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिये विभिन्न समितियां गठित की जा सकेंगी.

(3) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपनियम (1) में अधिकथित किये गये मापदण्ड को पूरा करते हों और जो वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए गुणागुण के आधार पर सेवा में पदोन्नति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये हों वह सूची दो वर्ष के लिये संभाव्य रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी.

(4) सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम सेवा में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे :

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, जो समिति की राय में असाधारण गुणागुण का है तथा उपयुक्त है उससे वरिष्ठ व्यक्तियों की तुलना में उच्चतर स्थान पर सूची में रखा जा सकेगा.

(5) इस प्रकार तैयार की गई सूची का पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष किया जायेगा.

(6) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण करना प्रस्तावित किया जाय, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये कारण अभिलिखित करेगी.

(7) इस नियम के अधीन तैयार की गई सूची समिति द्वारा मंडल को अग्रेषित की जायेगी.

(8) मण्डल समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा की गई सूची पर विचार करेगा और यदि कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो सूची को अनुमोदित करेगा.

(9) यदि मण्डल समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो यह प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना समिति को देगा और समिति की टिप्पणियों पर यदि कोई हो, ध्यान देने के पश्चात् ऐसे उपात्तरण के साथ, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायपूर्ण तथा उचित हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा.

(10) मण्डल द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची सेवा के सदस्यों की, पदों के किसी विशिष्ट संवर्ग में पदोन्नति हेतु चयन सूची होगी यह सूची साधारणतः तब तक

उपनियम (5) के अधीन उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाता परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के पालन में गंभीर चूक होने की दशा में मण्डल की प्रेरणा पर चयन-सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जायेगा और समिति, यदि उचित समझे तो सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगी।

(11) चयन-सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की पदों के विशिष्ट संवर्ग में नियुक्ति उसी क्रम में होगी जिसमें कि उनके नाम चयन-सूची में आये हों :

परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं से इस प्रकार अपेक्षित हो वहां ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन-सूची में सम्मिलित नहीं है या जो चयन-सूची में अगले क्रम में न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि मण्डल का यह समाधान हो जाये कि रिक्त के तीन माह से अधिक चलने की संभावना नहीं है।

29. परिवीक्षा.—मण्डल की सेवा में सीधी भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

30. कर्मचारीवृन्द पर मण्डल का नियंत्रण.—(1) धारा 17 के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति मण्डल के प्रशासकीय पर्यवेक्षण तथा अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के उपबन्ध, अधिनियम की धारा 17 के अधीन नियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

31. धारा 19 के अधीन जांच.—धारा 19 के अधीन अनुज्ञात की गई जांच, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट अधिकारों द्वारा मध्यप्रदेश, सिविल सेवा, (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

32. व्यय की सीमा प्रशासनिक व्यय.—अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारियों और सेवकों पर किया जाने वाला व्यय तथा अन्य निधि की वार्षिक आय के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

33. अदावाकृत मजदूरी तथा जुमनि का रजिस्टर.—प्रत्येक स्थापना का नियोजन प्ररूप "ड" में अदावाकृत मजदूरी तथा जुमनि का एक समेकित रजिस्टर बनाये रखेगा तथा उसे 10 वर्ष की कालावधि के लिये परिरक्षित रखेगा :

परन्तु अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामलों में रजिस्टर को मामले के अंतिम रूप से निपटारये जाने तक परिरक्षित रखा जायेगा.

34. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जायेगा. जिसका विनिश्चय अंतिम होगा.

प्ररूप-"क"

[नियम 3(5) देखिए]

क्रमशः 30 जून या 31 दिसम्बर को कर्मचारियों तथा नियोजकों के अभिदाय का विवरण

1. स्थापना का नाम
2. नियोजक का नाम
3. स्थापना का वर्ग
4. स्थापना का पता
5. कर्मचारियों की कुल संख्या, [धारा 2(3) के अनुसार] जिसके नाम 30 जून, 31 दिसम्बर को स्थापना की उपस्थिति नामावली में दर्ज हैं.
6. (क) कर्मचारियों का अभिदाय (1 रुपये प्रति कर्मचारी की दर से) रुपये
- (ख) नियोजक का अभिदाय (3 रुपया प्रति कर्मचारी की दर से) रुपये
7. प्रविष्टि 6 की उप प्रविष्टि (क) तथा (ख) का योग रुपये

तारीख

नियोजक के हस्ताक्षर

प्ररूप-"अ"

(देखिये धारा 19-क तथा विनियम क्र. 3)

नियोजक द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष

1. स्थापना का नाम
2. कारखाना प्रबंधक का नाम
3. स्थापना एवं निर्मित वस्तु का स्वरूप
4. उपस्थिति पंजी में कर्मचारियों की संख्या
5. हाथ में लिए गए अथवा व्यवस्था किए गए कल्याणकारी कार्यकलापों का विस्तृत विवरण.
6. ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने क्र.म. 5 के अंतर्गत कार्यकलापों में भाग लिया अथवा लाभ उठाया.
7. स्थापना परिसर के बाहर हाथ में लिए गए अथवा व्यवस्था किये गये कल्याणकारी कार्यकलापों का विस्तृत विवरण.
8. ऐसे कर्मचारियों/उनके परिवारों के सदस्यों की संख्या जिन्होंने स.क्र. 7 के अंतर्गत कार्यकलापों में भाग लिया अथवा लाभ उठाया.
9. स.क्र. 5 तथा 7 के अंतर्गत कल्याणकारी कार्यकलापों पर व्यय की गई लगभग राशि.
10. कोई अन्य संगत सूचना जिसका उल्लेख करना महत्वपूर्ण हो.

स्थान

दिनांक

कारखाना प्रबंधक

प्ररूप-"ख"
(नियम 10 देखिए)

कल्याण आयुक्त द्वारा धारा 9 (8) के अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण

स्थापनाओं का वर्ग	स्थापनाओं की संख्या	कल्याण आयुक्त द्वारा प्राप्त किया गया नियोजकों के अभिदाय का लेखा
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

योग : रुपये

तारीख

.....
कल्याण आयुक्त के हस्ताक्षर.

प्ररूप-"ग"
(नियम 11 देखिए)

एक—मध्यप्रदेश ग्राम कल्याण मण्डल की रोकड़ बही (कैश बुक)

प्राप्तियाँ

प्राप्ति की तारीख	प्राप्ति क्रमांक	प्राप्तियों की विशिष्टियाँ	बैंक निक्षेप	नकद	बैंक	अन्य निक्षेप	विविध प्राप्तियाँ	प्राप्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

आरंभिक अतिशेष

व्यय

व्यय की तारीख	अनुक्रमांक या उप ब्याजचर क्र.	व्यय की विशिष्टियाँ	व्याजचर क्रमांक	बैंक निक्षेप	नकद	बैंक निक्षेप	अन्य निक्षेप	कुल व्यय
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

कुल प्राप्तियाँ

कुल व्यय

कुल योग

अंत अतिशेष

कुल योग

दो—मास 19..... के लिये प्राप्तियों की विस्तृत संक्षिप्ति

तारीख	प्राप्त क्रमांक	स्थापना व्यक्त का नाम	जुर्माना	असदत संचित राशियाँ	असदत संचित राशियाँ निक्षेप	दान	धारा 9 के अधीन अभिदाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

सहायता अनुदान या सहायकी	धारा 10 के अधीन सांस्तिक व्यय	धारा 3 के अधीन अंतरिम की नई रकम	सहायता से उधार	धारा 12 के अधीन उधार लिया गया नया धन	विभिन्न कल्याण क्रियाकलापों के लिए निक्षेप कल्याण	पुनर्निर्माण- पत्रों का विक्रय
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

बैंकर वस्तुओं के लिये क्रय	कल्याण क्रिया-कलापों के लिये पैसे	अन्य विधि प्राप्तियां	बैंक या अन्य निक्षेप पर व्याज	योग	अधिश्रम	
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	सेवाप्राप्त	सेवाधिकारी
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

भाग
 तीन-पाठ 19 के लिये के वेतनमान तथा भत्तों का वर्गीकृत संक्षेप

अनुक्रमिक	व्याज क्रमांक	तारीख	देयक क्रमांक	अधिकारियों का वेतन	भत्ते	अवकाश वेतन के लिये ध्येय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	वेतन	भत्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

अन्य कर्मचारीवृद्ध		कार्यक्रम के प्रशासन वेतन	कर्मचारीवृद्ध का भत्ता	सदस्यों को भत्ता	योग	
वेतन	भत्ता	(11)	(12)	(13)	वेतन	भत्ता
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

द्वि-पर राह कर्मचारी वृद्ध का यात्रा भत्ता	मण्डल के सदस्यों लिये यात्रा भत्ता	छुट्टी नगरीकरण	अवकाश यात्रा रियायत	प्रत्येक व्याज का योग	अधिश्रम	
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	सेवाप्राप्त	सेवाधिकारी
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

चार-मास 19..... के लिये आकस्मिक व्यय की वर्गीकृत संक्षिप्त
कार्यक्रम व्यय

अनु- क्रमांक	कार्यवार क्रमांक	दैनिक क्रमांक	तारीख	स्थान	सामुदायिक आवश्यकता सुव्यवस्थाक क्रियाकलाप	आवश्यकता अन्य क्रियाकलाप	सितारा कक्षा	सितारा की महोदय	कर्मचारी के लिये सहायक उप- जीविकाएँ	गृह उद्योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

पुनर्वसन तथा अन्य आम्बोद-प्रभोद					क्रीडाएँ तथा खेल-कूद					
वाचन कक्ष	कर्मचारी की शिक्षा	संगीत	वाद्यक	सिनेमा प्रदर्शन	रेडियो कक्ष	प्रयोग तथा पर्यटन	अन्य पुनर्वसन	खेल सामग्री	परिवहन	जलपान
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

प्रवेश शुल्क	वार्षिक पुरस्कार	खेल-कूद	विविध	कर्मचारी	विद्यार्थी तथा प्रकाश	किण्व स्थायीय फर तथा कर	डाक व्यय	बैंक कर्मचारी	भुगतान तथा लेखन सामग्री	वापान
(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)

अन्य विविध रेडियो तथा संगीत उपकरणों की प्रतिस्थापना	अन्य विविध	सवाती	दैनिक मजदूरी	भवन का रक-रखाय	प्रशासनिक आवश्यकताएँ	भविष्य विधि अभिदाय
(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)

उपदान संदाय	उधार तथा अग्रिम	विविध	सहायता अनुदान	अन्य	योग	अनुपातर लेखापाल लेखाधिकारी
(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)

टिप्पणी.—यदि एक से अधिक कार्यालय या केन्द्र स्थापित किए जायें तो (क) बैठन तथा भत्ते और (ख) आकस्मिक व्यय हेतु पुनर्-
पुनर्-संश्लेषित संश्लेषित तैयार की जावेगी.

प्ररूप-“ध”
(नियम 12 देखिए)

कार्यालय, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल

लेखाओं का वार्षिक विवरण

वर्ष के लिए

प्राप्तियाँ	रु. पै.	व्यय	रु. पै.
1. मण्डल द्वारा प्राप्त जुमनि की रकम	..	1. अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते	
2. निधि में जमा किये गये अदत्त संचित राशियों की रकम.	..	2. कर्मचारीवृन्द की वेतन तथा भत्ते	
3. धारा 9 के अधीन मण्डल को संदत्त अधिदाय	..	3. कार्यक्रम प्रशासन कर्मचारीवृन्द का वेतन तथा भत्ते	
4. स्वैच्छिक दान	..	4. अवकाश वेतन के लिए उपबंध	
5. धारा 10 के अधीन संदत्त शास्तिक ब्याज	..	5. कर्मचारीवृन्द हेतु यात्रा भत्ता	
6. राज्य सरकार द्वारा मण्डल को संदत्त सहायता अनुदान या सहायकी (सयसिद्धी).	..	6. सदस्यों के भत्ते	
7. धारा 3 (3) के अधीन निधि को अन्तर्गत की गई रकम.	..	7. मण्डल के सदस्यों के लिये यात्रा भत्ता	
8. राज्य सरकार द्वारा दिया गया उधार	..	8. (क) भविष्य निधि अधिदाय	
9. धारा 12 के अधीन उधार ली गई राशि	..	(ख) उपदान निधि अधिदाय	
10. फीरा से आय	..	9. अवकाश नगदीकरण	
11. विभिन्न कल्याण क्रिया-कलापों के लिए निशेष	..	10. अवकाश यात्रा रिवायत	
12. बैंक या अन्य निशेष पर व्याज	..	11. कार्यक्रम पर व्यय	
13. विविध प्राप्तियाँ :-		12. (क) धारा 11(3) के अधीन सहायता अनुदान	
(क) पुराने संपादन-पत्रों पुस्तकों नियत कालिक पत्रिकाओं आदि का विक्रय.	..	(ख) अध्ययन दौरे आदि	
(ख) अनुपयोगी वस्तुओं का विक्रय	..	(ग) सामुदायिक आवश्यकताएं	
(ग) अन्य विधि प्राप्तियाँ	..	(एक) शिक्षा कक्ष	
		(दो) अन्य क्रिया-कलाप	
		(बे) गृह उद्योग तथा अनुषांगिक धन्ये	

प्राप्तियाँ	र. पै.	व्यय	र. पै.
14. (क) नगद	•	(एक) मिलाई कला	
(ख) बैंक		(दो) मिलाई की मशीनें	
(ग) बैंक दिखेप		(तीन) अन्य उप जीविका	
		(छ) वाचनालय वाचन कक्ष	
		(घ) शैक्षिक सुविधायें	
		(ङ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
		(ज) औपचारिक	
		(झ) अन्य मनोरंजन, अन्य आमोद-प्रमोद	
		(एक) संगीत	
		(दो) नाटक	
		(तीन) रेडियो	
		(चार) भ्रमण	
		(पांच) आमोद-प्रमोद	
		(ब) क्रीड़ा खेलकूद तथा खेल	
		(एक) खेल सामग्री	
		(दो) सवारी	
		(तीन) जलपान	
		(चार) वेशाभूषा	
		(पांच) प्रवेश शुल्क	
		(छ) पुरस्कार	
		(ट) जीवन बीमा प्रीमियम	
11. विविध :-		(एक) फर्नीचर	
		(दो) विद्युत् तथा प्रकाश	
		(तीन) किराया, स्थानीय घन तथा कार	
		(चार) डाक व्यय	
		(पांच) बैंक कमीशन	
		(छ) मुद्रण तथा लेखन सामग्री	
		(सात) बान	
		(आठ) उपकरणों का प्रतिस्थापन	
		(नौ) विधिक प्रभार	
		(दस) टेलीफोन	
		(ग्यारह) अन्य विविध	
12. सवारी			
13. दैनिक मजदूरी			
14. भवन का रख-रखाव			
15. प्रशासनिक आकस्मिकताएँ			
16. उधार तथा अग्रिम			

नियत अस्तियां

अनुक्रमांक	तारीख	तारीख
(1)	को अतिशेष है (2)	को अतिशेष था (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

सारांश.—

1. प्राप्तियां
2. व्यय
3. नियत अस्तियां
4. बजट रकम के ऊपर व्यय आधिक्य, शीर्षकवार
5. बजट राशि से बचत शीर्षकवार

लेखा अधिकारी

प्ररूप-४
(नियम 33 देखिए)

असंदर्भ संचित राशियों तथा जुमाने का रजिस्टर स्थापना का नाम

31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही	30 जून को समाप्त होने वाली तिमाही	30 सितम्बर को समाप्त होने वाली तिमाही	31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली तिमाही
(1)	(2)	(3)	(4)

1. जुमाने के अर्धिन कुल वसूली
2. कुल रकम जो असंदर्भ संचित राशियां होने वाली हो—
 - (क) कुल मजदूरी
 - (ख) मंहगाई भत्ता
 - (ग) गृह भाड़ा भत्ता
 - (घ) वषदान
 - (ङ) मजदूरी के अन्य घटक

(क) से (ङ) तक का योग

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 1995

क्र. एफ. 4 (ई) 3-95-श्रम-सौलह-ब. — मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, श्रम कल्याण मण्डल द्वारा नियुक्त निरीक्षक/पर्यवेक्षकों की इस धारा के प्रयोजन हेतु निरीक्षक नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. एस. लक्कड़, उपसचिव

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 1995

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मई 1995

क्र. एफ. 14-3-94-सौलह-ब. — मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 1 की उपधारा (3) संपादित धारा 2 (5), (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं श्रम विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. 14-1-84-सौलह-ब. दिनांक 11 नवम्बर 1987 के तारतम्य में राज्य शासन एतद्वारा 1 जून, 1995 को उस तारीख के रूप में नियत करता है जबसे उक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध मध्यप्रदेश राज्य के समस्त ऐसी स्थापनाओं

जो व्यवसाय अथवा व्यापार अथवा उससे संबंधित अथवा सहयोगी कार्य करते हो एवं जिनमें विगत 12 माहों में किसी भी कार्य दिवस पर 9 से अधिक श्रमिक नियुक्त हो अथवा नियुक्त किये गये हो, के लिये प्रवृत्त होंगे.

No. F. 14-3-94-XVI-B.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Shram Kalayan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983) read with clause (ii) of sub-section (5) of Section 2 thereof, and in continuation of Labour Deptt's previous notification No. 14-1-84-XVI-B, dated the 11th November 1987 the State Government hereby appoints 1st day of June 1995 as the date on which all the provisions of the said act shall come in to force in respect of such establishments in the State of Madhya Pradesh, which carry on any business grade or any work in connection with or ancillary thereto, and which employ or have employed on any working day during the preceding twelve months more than 9 person.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. लक्कड़, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 1996

भोपाल, दिनांक 25 मई 1996

क्र. एफ. 4 (ई) 3-95-श्रम-सोलह-ब.—मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, श्रम कल्याण मण्डल में नियुक्त अतिरिक्त कल्याण आयुक्त, उपकल्याण आयुक्त, सहायक कल्याण आयुक्त, जनसम्पर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी एवं कल्याण अधिकारी को इस धारा के प्रयोजन हेतु निरीक्षक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2000

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2000

क्र. एफ. 14-2-99-सोलह-ब.—मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 24 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, समस्त सहायक श्रम आयुक्तों तथा श्रम अधिकारियों को, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में, उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन देय राशियों की वसूली के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 147 के अधीन तहसीलदार की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है।

(2) यह अधिसूचना, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

No. F. 14—2-99-XVI-B.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) Section 24 of the Madhya Pradesh Shram Kalayan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983), the State Government hereby authorise all the Assistant labour Commissioners and Labour Officers to exercise the powers of Tahsildar under Section 147 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) for recovery of payable under sub-section (1) of Section 24 of the said Adhiniyam in their respective jurisdiction.

(2) This notification shall come into force with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार।

ओ. पी. शर्मा, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 36 of 1983

THE MADHYA PRADESH SHRAM KALYAN NIDHI,
ADHINIYAM, 1982.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

CHAPTER I-PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II-CONSTITUTION OF A FUND AND THE BOARD

3. Labur Welfare Fund.
4. Constitution of Board and allowances payable to the members.
5. Disqualification and removal.
6. Resignation of office by member and filling up of casual vacancies.
7. Power to appoint Committees.

CHAPTER III-VESTING AND APPLICATION OF FUND

8. Unpaid accumulations and claims thereto.
9. Contribution.
10. Interest on unpaid accumulations or fine on the notice of demand.
11. Vesting and application of fund.
12. Power of Board to borrow.
13. Investment of Fund.
14. Audit and Accounts.
- 14-A. Annual Report of the Board.
- 14-B. Report of activities by employers.
- 14-C. Delegation of powers of the Board.

CHAPTER IV-APPOINTMENT OF OFFICERS AND STAFF

15. Welfare Commissioner, Additional or Deputy Welfare Commissioner.
16. Appointment of Inspectors.
17. Appointment of Officers and other staff.
18. Deputation of Government servants.
19. Power to impose punishment.
20. Service Conditions.
21. Limitation on expenditure.

CHAPTER V-MISCELLANEOUS

22. Power to call for records.
23. Directions by the State Government to Board.
24. Mode of recovery of sums payable to the Board.
25. Supersession of Board.
26. Members, etc., to be public servant.
27. Protection to persons acting in good faith.
28. Exemption.
29. Amendment of Central Act No. 4 of 1936.
30. Vesting of certain properties.
31. Penalty for obstructing Inspector in discharge of Inspector's duties or for failure to produce documents, etc.
32. Provisions relating to jurisdiction.
33. Power to make rules.
- 33-A. Power to make regulations.
34. Power to remove difficulties.

MADHYA PRADESH ACT**No. 36 of 1983****THE MADHYA PRADESH SHRAM KALYAN NIDHI ADHINIYAM,
1982.**

[Received the assent of the President on the 6th November, 1983; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary), dated the 18th November, 1983.]

An Act to provide for the constitution of a Fund for the financing of activities to promote the welfare of labour in the State of Madhya Pradesh, for conducting such activities and for matters ancillary thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty Third Year of the Republic of India as follows :

CHAPTER I—PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.**—This Act may be called the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date or dates as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different areas and for different establishments or classes of establishments.

2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (1) "Board" means the Madhya Pradesh Labour Welfare Board Constituted under Section 4 ;

- (2) "Contribution" means the sum of money payable to the Board in accordance with the provisions of Section 9 ;
- (3) "Employee" means any person who is employed for hire or reward to do any skilled, semi-skilled or un-skilled, manual, clerical, supervisory , or technical work in an establishment but does not include any person-
- (a) who is employed mainly in a managerial or administrative capacity; or
 - (b) who, being employed in a supervisory capacity draws wages exceeding one thousand and six hundred rupees per mensem or exercises, either by the nature of the duties attached to the office, or by reason of the powers vested in him, functions mainly of a managerial nature ;
- (4) "Employer" means any person who employs either directly or through another person either on behalf of himself or through another person either on behalf of himself or any other person, one or more employees in an establishment and includes-
- (i) in relation to a factory any person named under clause (f) of sub-section (1) of Section 7 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) ;
 - (ii) in relation to any establishment carried on by or under the authority of the State Government the person or authority appointed by the State Government for supervision and control of employees, or where no

person or authority has been so appointed, the Head of the Department;

- (iii) in any other case, the person, who, or the authority which, has the ultimate control over the affairs of the establishment and where the said affairs are entrusted to any other person, whether called a manager, managing director or by any other name, such person ;

(5) "Establishment" means,-

- (i) a factory; or
- (ii) any establishment which carries on any business or trade or any work in connection with or ancillary thereto ;

Which employs or has employed on any working day during the preceding twelve months more than such number of persons as may specified by the State Government by notification, but does not include-

- (a) an establishment (not being a factory) of the State Government; and
- (b) an establishment owned by, or carried on under the authority of the Central Government for which the Central Government is the appropriate Government under clause (a) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (XIV of 1947), for purposes of industrial disputes;

(6) "Factory" means a factory as defined in clause (m) of Section 2 of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948);

(7) "Fund" means the Madhya Pradesh Labour Welfare Fund constituted under Section 3;

(8) "Independent member" means,—

(i) a member of the Board not connected with the management of any establishment or who is not an employee, and

(ii) an officer of the State Government nominated as member ;

(9) "Industrial Court" means the Court constituted under Section 9 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) ;

(10) "Inspector" means an Inspector appointed under Section 16 ;

(11) "Unpaid accumulations" means all payments due to an employee from an employer but not made to him within a period of three years from the date on which they became due whether before or after the commencement of this Act, including the wages, house rent allowance and gratuity legally payable but not including the amount of contribution, if any payable by an employer to a provident fund established under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (No. 19 of 1952);

(12) "Wages" means wages as defined in clause (vi) of Section 2 of the Payment of Wages Act, 1936 (No. 4 of 1936) ;

(13) "Welfare Commissioner" means the Welfare Commissioner appointed under Section 15.

CHAPTER II-CONSTITUTION OF FUND AND THE BOARD

3. Labour Welfare Fund.—(1) The State Government shall constitute a fund which shall be called the Madhya Pradesh Labour Welfare Fund.

(2) The Fund shall consist of,—

- (a) all fines realised from the employees ;
- (b) all unpaid accumulations transferred to the Fund under Section 8 ;
- (c) any contribution paid under Section 9 ;
- (d) any penal interest paid under Section 10 ;
- (e) any voluntary donations ;
- (f) any amount transferred to the Fund under sub-section (3) ;
- (g) any sum paid to the Fund as grant-in-aid or subsidy by the State Government ;
- (h) any sum borrowed under section 12 ;
- (i) any loan advanced by the State Government.

(3) If any fund is created or any sum is set apart by the employer of an establishment for the welfare of the employees, it may at the request of the employer and after approval of the State Government be transferred to the fund.

(4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any contract or instrument, all unpaid accumulations shall be paid to the Board at

such interval as may be prescribed, which shall keep a separate account thereof until claims thereto have been decided in the manner provided in section 8, and the other sums specified in sub-section (2) of this section shall be paid into the Fund.

- (5) The sums specified in sub-section (2) shall be paid to, or collected by, such agencies at such intervals and in such manner as may be prescribed.

4. Constitution of Board and allowances payable to the members.—(1) The State Government shall by notification, constitute the Madhya Pradesh Labour Welfare Board for the whole State for the purpose of administering the Fund and to perform such other functions as may be assigned to the board by or under this Act.

- (2) The Board shall be a body corporate by the name specified in sub-section (1) having perpetual succession and a common seal, with power to acquire subject to the provisions of this Act property both movable and immovable, and may, by the said name, sue or be sued.

- (3) The Board shall consist of the following members, namely :—

- (a) Chairman to be nominated by the State Government;
- (b) such number, as may be prescribed, of representatives of employers and employees to be nominated by the State Government:

which, as may be prescribed, shall be provided that both employers and employees shall be represented on the Board; and the other members provided in section 8, and the other members as may be prescribed to be nominated by the State Government; and

(3) The Secretary of the Board shall be appointed by the Government; and (4) Save as otherwise expressly provided in this Act, the term of office of the Chairman and the members nominated under clauses (b) and (c) shall be three years from the date of their nomination. (5) The members of the Board shall be entitled to such allowances, if any, as may be prescribed by the Government.

5. Disqualification and removal.— (1) No person shall be nominated as, or continue to be a Chairman or a member of the Board who— (a) is a salaried official of the Board; or (b) is an undischarged insolvent; or (c) is found to be a lunatic or becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court; or (d) is or has been convicted of any offence involving moral turpitude.

Provided that the disqualification under clause (a) shall not apply to Secretary of the Board. (2) The State Government may remove from office any member of the Board constituted under Section 4 who—

(a) is or has become subject to any of the disqualifications mentioned in sub-section (1); or

(b) is absent without leave, of the Board from more than three consecutive meetings of the Board;

11A. (c) is in the opinion of the State Government acting in a manner prejudicial to the interest of the board.

11B. Resignation of office by member and filling up of casual vacancies.-(1) A member may resign his office by giving notice thereof in writing to the State Government and on such notice being accepted shall be deemed to have vacated his office from the date of such acceptance by the State Government.

(2) A casual vacancy in the office of a member shall be filled up, as soon as conveniently may be, by the State Government and a member so nominated shall hold office for the unexpired portion of the term of the office of his predecessor.

(3) No act or proceedings of the Board shall be questioned on the ground merely of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Board or on the ground that any person had taken part in the proceedings of the Board and had voted in an unauthorised manner.

7. Power to appoint committees:- For the purpose of advising the Board in the discharge of its functions and also for carrying into effect any of the objects specified in sub-section

(2) of Section 11, the Board may constitute one or more committees. The constitution and term of office of any committee shall be such as may be prescribed.

CHAPTER III-VESTING AND APPLICATION OF FUND

8. **Unpaid accumulations and claims thereto.**-(1) All unpaid accumulations shall be deemed to be abandoned property.

(2) Any unpaid accumulations paid to the Board in accordance with the provisions of Section 3 shall, on such payment, discharge an employer of the liability to make payment to an employee in respect thereof, but to the extent only of the amount paid to the Board; and the liability to make payment to the employee to the extent aforesaid shall, subject to the succeeding provisions of this section, be deemed to be transferred to the Board.

(3) As soon as possible after the payment of any unpaid accumulation is made to the Board, the Board shall by notice (which shall contain such particulars as may be prescribed)-

- (a) to be displayed on the notice board of the factory or establishment in which the unpaid accumulation was earned; and
- (b) to be published in a newspaper in the language commonly understood in the area and having circulation in the area in which the establishment in which the unpaid accumulation was earned-

is situate invite claims to be filed, within a period of one hundred and eighty days from the date of such display or publication of the notice, by employees for

any payment due to them. The notice shall continue to be displayed on the notice Board continuously for a period of one hundred and eighty days from the date it is so displayed.

(4) If any question arises whether the notice referred to in sub-section (3) was given as required by that sub-section, a certificate of the Board that it was so given, shall be conclusive.

(5) If a claim is received in answer to the notice under sub-section (3), the Board shall transfer such claim to the authority appointed under Section 15 of the Payment of Wages Act, 1936 (No. 4 of 1936) having jurisdiction in the area in which the factory or establishment is situated, and the authority shall proceed to adjudicate upon, and decide, such claim within a period of ninety days from the date on which the claim is transferred to it by the Board. In hearing such claim the Authority shall have the power conferred by and follow the procedure (in so far as it is applicable) laid down for giving effect to the provisions of that Act.

(6) If the Authority aforesaid is satisfied that any such claim is valid and the right to receive payment is established, it shall decide that the unpaid accumulation in relation to which the claim is made shall cease to be deemed to be abandoned property and shall order the Board to pay the whole of the dues claimed, or such part thereof as the Authority decides as properly due, to the employees; and the Board shall make payment accordingly :

Provided that, the Board shall not be liable to pay any sum in excess of that paid under sub-section (4) of Section 3 to the Board as unpaid accumulations, in respect of the claim.

of said claim shall be final and conclusive as to the right to receive payment, the liability of the Board to pay and also as to the amount, if any, to be paid. (7) If a claim for payment is rejected, the employee shall have a right of appeal to the Industrial Court, and the Board shall comply with any order made in appeal. An appeal shall lie within sixty days of the decision of the Authority. The Industrial Court shall give its decision ordinarily within a period of sixty days from the date on which appeal is presented before it.

(8) The decision of the Authority, subject to appeal aforesaid, and the decision in appeal of the Industrial Court, shall be final and conclusive as to the right to receive payment, the liability of the Board to pay and also as to the amount, if any, to be paid. (9) If no claim is made within the time specified in sub-section (3), or a claim has been duly rejected as aforesaid by the authority, or on appeal by the Court, then the unpaid accumulation in respect of such claim shall accrue to, and vest in, the Board as bona vacantia, and shall thereafter without further assurance be deemed to be transferred to, and form part, of the Fund.

(10) Where the Authority or the Industrial Court is unable to give its decision within the period specified in sub-section (5) or sub-section (7), as the case may be, it shall record the reasons therefor.

Section 9. Contribution.—(1) The contribution payable under this Act in respect of an employee in an establishment shall consist of the contribution payable by the employer (hereinafter referred to as the 'employer's contribution') payable by an employee (hereinafter referred to as the 'employee's contribution') and the contribution payable by the State Government, and shall be paid to the Board and form part of the Fund.

(2) If the name of the employee stands on the register of an establishment on 30th June and 31st December respectively, the amount of contribution payable every six months by every employee shall be (One Rupees) only and by an employer for each such employee shall be (Three Rupees) Payable every six months.

(2) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions, an employer shall deduct a contribution from the wages of every employee (Provided that the employer's contribution payable every six months shall not be less than one hundred fifty Rupees).

(3) Subject to the provision of sub-section (2), every employer shall pay to the Board both the employer's contribution and the employee's contribution every year before the 15th day of July and 15th day of January.

(4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, but subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the employer shall be entitled to recover from the employee the employee's contribution by deduction from his wages and not otherwise and such deduction shall be deemed to be a deduction authorised by or under the Payment of Wages Act, 1936 (No. 4 of 1936).

Provided that no such deduction shall be made in excess of the amount of the contribution payable by such employee, nor shall it be made from any wages other than the wages for the month of June and December.

Provided further that if through inadvertence or for unavoidable circumstance to be recorded in writing no deduction has been made from the wages of an employee

1. Amended by Act No. 11 of 1996.
2. Inserted by Act No. 11 of 1996.
3. Substituted by Act No. 39 of 1997.

for the months aforesaid, such deduction may be made from the wages of such employees for any subsequent month or months after intimation in writing to the Inspector.

(5) Notwithstanding any contract to the contrary, no employer shall deduct the employer's contribution from wages payable to an employee or otherwise recover it from the employee.

(6) Any sum duly deducted by an employer from the wages of an employee under this section shall be deemed to have been entrusted to him by the employee for the purpose of paying the contribution in respect of which it was deducted.

(7) An employer shall pay the employer's and the employee's contributions to the Board by Cheque, Bank Draft, Money Order or in cash and shall himself bear the expenses of remitting such contributions to the Board.

(8) The Welfare Commissioner shall submit to the State Government as soon as possible after the end of July and January every year in the prescribed form a statement showing the total amount of the employer's contribution in respect of his establishment. On receipt of the statement from the Welfare Commissioner, the State Government shall pay to the Board a contribution of an amount equal to the employer's contribution in respect of that establishment.

1[' (9) Notwithstanding anything contained in the above sub-sections, the State Government may revise the rate of contribution payable by the employee and the employer by notification subject to the condition of previous publication.'.]

1. Inserted by Act No. 11 of 1996.

2. Amended by Act No. 11 of 1996.

10. Interest on unpaid accumulations or fine on the notice of demand.—(1) If an employer does not pay to the Board any amount of unpaid accumulations or fines realised from the employees, or the amount of the employer's and employee's contribution under Section 9 within the time he is required by or under the provisions of this Act to pay it, the Welfare Commissioner may cause to be served a notice on the employer to pay the amount within the period specified therein, which shall not be less than thirty days from the date of service of such notice.

(2) If the employer fails without sufficient cause, to pay such amount within the period specified in the notice he shall, in addition to that amount, pay to the Board simple interest—

- (a) for the first three months at ¹(One and a half per cent) of the said amount for each complete month after the last date by which he should have paid it according to the notice; and
- (b) at ²(Two per cent) of that amount for each complete month thereafter during the time he continues to make default in the payment of that amount.

11. Vesting and application of fund.—(1) The fund shall vest in and be held and applied by the Board as a Trustee subject to the provisions and for the purposes, of this Act. The moneys therein shall be utilised by the Board to defray the cost of carrying out activities which may be specified by the State Government from time to time to promote the Welfare of labour and of their dependents.

(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1) the moneys in the fund may be utilised by

the Board to defray expenditure on the following :-

- (a) community and social education centres, including reading rooms and libraries;
 - (b) community necessities;
 - (c) educational facilities for children, women and adults;
 - (d) games and sports;
 - (e) excursions, tours and holiday homes;
 - (f) entertainments and other forms of recreation;
 - (g) home industries and subsidiary occupations for women and unemployed persons;
 - (h) corporate activities of a social nature;
 - (i) cost of administering the Act including allowances of the members of the Board and the salaries and allowances of the officers and staff appointed for the purposes of the Act; and
 - (j) such other objects as would in the opinion of the Board improve the standard of living and ameliorate the social conditions of labour.
- Provided that the fund shall not be utilised in financing any activity which the employer is required under any law for the time being in force to carry out.
- Provided further that unpaid accumulations and fines shall be paid to the Board and be expended by it under this Act notwithstanding anything contained in the

Payment of Wages Act, 1936 (No. 24 of 1936) for any other law for the time being in force.

(3) The Board may, with the approval of the State Government, make a grant out of the fund to any employer, any local authority or any other body in aid of any activity for the welfare of labour.

(4) If any question arises whether any particular expenditure is or is not debitable to the Fund, the matter shall be referred to the State Government and the decision given by the State Government shall be final.

(5) It shall be lawful for the Board to continue any activity financed from the labour welfare fund of any establishment if the said fund is only transferred to the Board under sub-section (3) of Section 3.

12. Power of Board to borrow.—The Board may from time to time with the previous sanction of the State Government and subject to the provisions of this Act and to such conditions as may be specified in this behalf borrow any sum required for the purposes of this Act.

[13] Investment of Fund.—Where the fund or any portion thereof cannot be applied at an early date for fulfilling the objects of the Act, the Board may invest the same in purchasing the savings certificates or deposit it in Post Office Saving Bank or in any account with a Scheduled Bank or invest it in Government securities. The Board may with the approval of the State Government, also, invest it, in any other mode of investment.

1. Substituted by Act No. 11 of 1996.

14. Audit and Accounts.—(1) The Board shall cause to be maintained such accounts, records and registers as may be prescribed.

(2) The Board shall, soon after the close of the financial year prepare an annual statement of its accounts in such form and in such manner as may be prescribed.

14-A. Annual Report of the Board.—(1) The Secretary of the Board shall prepare an Annual Report in respect of the affairs of the Board and the fund for the financial year. The report shall be laid before the Board at the first meeting of the next financial year. The manner and contents of the Annual Report shall be such as may be prescribed by the regulations.

(2) A Copy of the report which is to be laid before the Board under sub-section (1), shall be sent to every member of the Board together with the annual statement of accounts and the audit report, if available.

(3) A Copy of the report, as approved by the Board, shall be sent to the State Government duly signed by the Secretary.

14-B. Report of activities by employers.—Every employer shall send a report to the Welfare Commissioner on the welfare activities conducted by him during the financial year in such form and in such manner as may be provided in the regulations made under Section 33-A.

14-C. Delegation of powers of the Board.—The Board may, by a special resolution, delegate any of the powers exercisable by it under this Act and the rules made thereunder subject to such conditions, as may be specified in the resolution, to the Chairman or the Welfare Commissioner. '']

(iii) It shall be the duty of the Welfare Commissioner to ensure that the provisions of this Act and the rules made thereunder are duly carried out and the decisions of the Board under this Act or the rules made thereunder are implemented. He shall therefore have the powers to issue orders not inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, as he deems fit.

(2) The State Government may also appoint one or more persons as Additional or Deputy Welfare Commissioner. The Additional or Deputy Welfare Commissioner shall exercise such powers and perform such duties as the Welfare Commissioner may, with the approval of the Board, by order specify. For this purpose the Board shall be competent to fix the area or areas within which the Additional or the Deputy Welfare commissioners shall exercise the powers and perform the functions so specified.

(3) The Secretary of the Board shall be appointed by the State Government.

16. Appointment of Inspectors.—(1) The State Government may appoint Inspectors to inspect records to ascertain and verify the sums payable into the fund. Inspectors appointed under sub-section (2) of section 40 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958) shall also be deemed to be Inspectors for purposes of this Act in respect of the establishments to which the Act applies.

(2) Any Inspector may—

(a) with such assistance, if any, as he thinks fit, enter at any reasonable time any premises for carrying out the purposes of this Act;

(b) exercise such other powers as may be prescribed.

17. Appointment of Officers and Other Staff.—The Board shall have powers subject to such conditions as may be prescribed, to appoint officers, clerical and executive staff other than those appointed under Section 15, to carry out and supervise the activities financed from the fund.

18. Deputation of Government Servants.—2 [The State Government may, in consultation with the Board, depute to the service of the Board any Government Servant] and the terms and conditions of deputation of such servants shall be determined by the State Government in consultation with the Board and the terms and conditions so determined shall be binding on the Board.

19. Power to impose punishment.—Power to impose punishment.—Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder, if in the opinion of the State Government any officer or servant of the Board is negligent in the discharge of his duties it may after making enquiry in the prescribed manner suspend him or may impose any other punishment as may be prescribed and if in the opinion of the State Government he is unfit for his employment, it may remove him from service.

20. Service Conditions.—The method of recruitment and the conditions of service including pay-scales—
(a) of the persons appointed under section 15 shall be such as may be specified by the State Government;
(b) of the persons appointed under Section 17 shall be such as may be determined by the Board by regulations made under Section 33-A.

21. Limitation on expenditure.—The expenditure on the officers and the servants appointed under this Chapter and other administrative expenditure shall not exceed the prescribed percentage of the annual income of the Fund.

-
1. Substituted by Act No. 11 of 1996.
 2. Amended by Act No. 11 of 1996.
 3. Substituted by Act No. 11 of 1996.

CHAPTER V-MISCELLANEOUS

22. **Power to call for records.**—The State Government or any officer authorised by the State Government in this behalf may call for the records of the Board, inspect the same and may supervise the working of the Board and may require the Board to furnish the same to him.

23. **Directions by the State Government to Board.**—The State Government may give to the Board such directions as in its opinion are necessary or expedient in connection with expenditure from the fund or for carrying out the other purposes of the Act and the Board shall comply with such directions.

24. **Mode of recovery of sums payable to the Board.**—(1) Any sum payable to the Board or into the Fund under this Act, shall without prejudice to any other mode of recovery, be recoverable on behalf of the Board as an arrear of land revenue.

(2) The State Government may, by notification, authorise officers of the State Government not below the rank of Labour Officer to exercise the powers of a Tahsildar under Section 147 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) for recovery of sums under sub-section (1).

(3) The officers authorised under sub-section (2) may cause a notice of demand to be served on any defaulter before the issue of any process under Section 147 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) for the recovery of any arrears.

(4) All other provisions of Chapter XI of the Madhya Pradesh Land Revenue Code shall apply mutatis mutandis for the recovery of sums payable to the Board or into the Fund under this Act.

25. Supersession of Board.—(1) If the State Government is satisfied that the Board had made default in performing any duties imposed on it by or under this Act or has abused its power or has failed to comply with any direction given by the State Government under Section 23, the State Government may by notification supersede the Board and may reconstitute it in the manner prescribed for constitution of the Board :

Provided that before issuing the notification under this sub-section, the State Government shall give a reasonable opportunity to the Board to show cause why it should not be superseded and shall consider the explanation and objections, if any, submitted by the Board.

(2) After the supersession of the Board and until it is reconstituted the powers, duties and functions of the Board under this Act shall be exercised or performed by the State Government or by such officer or officers as the State Government may appoint for this purpose.

26. Members etc. to be public servant.—The members of the Board, and the persons appointed under sections 15, 16, 17, 18 and 25 of this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860).

27. Protection to persons acting in good faith.—No suit, prosecution or other proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

28. Exemption.—The State Government may, by notification exempt any establishment or class of establishments from all or any of the provisions of this Act subject to such conditions as may be specified in the notification.

29. **Amendment of Central Act, No. 4 of 1936.**—In sub-section (8) of Section 8 of the Payment of Wages Act, 1936 (No. 4 of 1936) in its application to the State of Madhya Pradesh, the following proviso shall be inserted, namely :—

''Provided that, in case of any Factory or establishment to which the provisions of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 apply, all such realisation shall be paid into the Madhya Pradesh Labour Welfare Fund constituted under the said Act and shall be applied for the purpose of the said Act.''

30. **Vesting of certain properties.**—The State Government may by an order transfer to the Board the property, both movable and immovable, belonging to it, and being applied in running the departmental Labour Welfare Centres.

31. **Penalty for obstructing Inspector in discharge of Inspector's duties or for failure to produce documents etc.**—(1) Any person, who wilfully obstructs an Inspector in the exercise of his powers or discharge of his duties under this Act or fails to produce for inspection on demand by an inspector any registers, records or other documents maintained in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder or to supply him on demand true copies of any such documents, shall, on conviction, be punished,—

- (a) for the first offence, with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both; and
- (b) for a second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both :

Provided that where the offender is sentenced to a fine only, the amount of fine shall not be less than one hundred rupees.

1[(2) If an employer-

- (a) fails to pay the contribution or any sum which he is liable to pay under this Act; or
- (b) is guilty of any contravention or non-compliance with any of the requirements of this Act or the rules or the regulations made thereunder, in respect of which no penalty is provided;

he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

32. **Power to make rules.**-(1) No Court inferior to that of a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under Section 31.

(2) NO prosecution for such offence shall be instituted except by an Inspector with the previous sanction of the Welfare Commissioner.

(3) No Court shall take cognizance of such offence unless complaint thereof is made within six months of the date on which the offence is alleged to have been committed.

33. (1) The State Government may, by notification, and subject to the conditions of previous publication, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

- (a) (i) the intervals at which unpaid accumulations shall be paid under sub-section (4) of Section 3;
- (ii) the agency which shall collect the sums and the intervals at which and the manner in which such sums shall be paid or collected under sub-section (5) of Section 3;
- (b) (i) the number of representatives of employers, employees and independent members on the Board under sub-section (3) of Section 4;
- (ii) the allowance, if any, payable to members of the board under sub-section (5) of Section 4;
- (c) the constitution and term of office of the member of a committee under Section 7;
- (d) the particulars which a notice under sub-section (3) of Section 8 shall contain;
- (e) the form in which statement shall be submitted under sub-section (8) of Section 9;
- (f) the accounts, records and registers to be maintained under sub-section (1) and the form in which annual statement of accounts shall be prepared under sub-section (2) of Section 14;
- (g) powers which an Inspector shall exercise under clause (b) of sub-section (2) of Section 16;
- (h) Conditions subject to which the Board may appoint officers, clerical and executive staff under Section 17;
- (i) the manner in which enquiry shall be made under Section 19;
- ¹[(j) the method of recruitment and conditions of service of the persons under clause (a) of Section 20;]

- (k) the percentage of the annual income of the Fund beyond which the Board may not spend on the staff and other administrative matters;
- (l) any other matter which has to be or may be prescribed.

1{33.A (1) The Board may with the previous approval of the State Government make regulations not inconsistent with this Act and the rules made thereunder for the purpose of giving effect to the provisions of the Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such regulations may provide for all any of the following matters, namely:-

- (i) the manner of preparation and the contents of the Annual Report under Section 14-A;
- (ii) determination of the working and service conditions of persons appointed under Section 17;
- (iii) preparation and maintenance of confidential records relating to officers and staff working under the Board and preparation and maintenance of other records of the Board;
- (iv) any other matter which has to be or may be required to be made by regulations.

34. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the Gazette, make such provision not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiration of two Years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

No. 346-2692-XVI-B-85.-In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Madhya Pradesh Shram Kalayan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983), the state Government hereby makes the following rules, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 33 of the said Act, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Rules, 1984.

(2) They shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint.

2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Shram Kalayan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983) :

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) "Section" means a Section of the Act.

3. **Payment of fines and unpaid accumulations.**-(1) Within thirty days from the date on which the Act comes into force in any area in respect of the establishments specified therein, every employer of such establishments in such area shall pay to the Board by cheque, bank draft, money order or cash.

(a) all fines realised from the employer before the said date and remaining unutilised on that date; and

(b) all unpaid accumulations held by the employer on the aforesaid date.

(2) Subsequent to the first payment made in accordance with sub-rule (1) every employer shall pay to the Board, all fines realised from the employees and all repaid accumulations during the quarter ending 31st March, 30th June, 30th September and 31st December within fifteen days from the close of each quarter.

(3) The payment under sub-rules (1) and (2) shall, in each case, be accompanied by a statement giving full particulars of the amounts paid.

(4) all other amounts mentioned in sub-section (2) of Section 3 of the Act shall also be paid to the Board.

(5) Every employer shall submit the Board a statement of employer's contribution and employees' contribution in respect of employees whose names stand on the register of the establishment on 30th June and 31st December respectively in form alongwith the payment of contribution under sub-section (3) of section 9.

4. Notice for payments due.-(1) The Welfare Commissioner may, after making such enquiries as it may deem fit, and after calling for a report from the Inspector, if necessary, serve a notice on any employer to pay any portion of fines realised from the employees or unpaid accumulations held by him which the employers has not paid in accordance with rule 3 or the contributions payable by him under Section 9 within the period specified therein, which shall not be less than 30 days from the date of service of such notice.

(2) The notice under sub-rule(1) shall be served on the employer either by personal service or by registered post acknowledgement due:

Provided that in case may employer refuses to receive such notice or it is returned by the postal authorities with the remarks that the employer refused to accept

it or it cannot be served it shall be deemed to have been served if a copy thereof is posted on any suitable place at or near the main entrance of the Establishment.

5. **Number of members to be nominated.**—The number of members to be nominated on the Board under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 4 shall be as under :-

- (1) Representatives of the employer-6
- (2) Representatives of the employees-6
- (3) Independent members of whom at least one shall be women-7

5. **Allowances to Chairman and members.**—((1) The Chairman, if he is a non-official member the will be entitled to get such allowance and other facilities as may be prescribed time to time by the State Government.

(2) the other members of the Board excluding Secretary shall be eligible to an allowance of Rs. 25 for attending each meeting of the Board.

(3) The Chairman and members of the board while travelling on duty shall be entitled to travelling and daily allowances as are admissible to First Grade Officers of State Government.

7. **Conduct of business by Board.**—(1) the Board shall meet at least once every quarter as often as may be necessary.

(2) All members of the Board shall be given fifteen clear days notice of a meeting specifying the date, time and place of the meeting and the business to be transacted thereat :

Provided that, a shorter notice may be given if in the opinion of the Chairman, business of an emergent nature has to be transacted.

(3) the number of members necessary to constitute a quorum at a meeting of the Board shall be seven of whom at least one each shall be from employers, the employees and the independent members.

(3) (a) If a member is unable to attend any meeting of the Board, he may, by a written instrument signed by him addressed to the Chairman of the Board, and explaining the reasons for his inability to attend the meeting, appoint any representative of the organisation which he represents on the Board, as his substitute for attending that meeting of the board in this place :

Provided that no such appointment shall be valid unless;

(i) such appointment has been approved by the Chairman of the Board, and

(ii) the instrument making such appointment has been received by the Chairman at least seven days before the date fixed for the meeting;

A substitute validly appointed shall have all the rights and powers of a member, in relation to the meeting of the Board in respect of which he is appointed.

(4) Every meeting of the board shall be presided over by the Chairman or if the chairman is, for any reason, unable to attend it, by such one of the members present, as may be chosen by the meeting, to be the Chairman for the occasion.

(5) If there is no quorum present as laid down in sub-rule (3) the chairman shall, after waiting for thirty minutes from the time fixed for the meeting, adjourn the meeting to such hour on some other day as he may fix. A Notice of such adjourned meeting shall be sent to every member of the Board and the business fixed for the original meeting shall be brought before the adjourned meeting and may be disposed off at such meeting whether there is quorum or not.

(6) All questions placed before the meeting of the Board shall be decided by a majority of the members present and voting, at the meeting the chairman have a second or casting vote in case of equality of votes.

(7) the Secretary, and in his absence any other officer of the board authorised by the Chairman, shall record the minutes of the proceedings of the meeting of the Board and shall include therein the names of the members present. A copy of such minutes shall be submitted to the State Government as soon as they are confirmed by the Board.

8. constitution of Committees.-(1) a Committee which may be constituted under Section 7 shall consist of members not exceeding 7, out of which at least 3 shall be members of the Board.

(2) The term of members of a committee appointed for a specific job shall be the period taken for completing the said job, provided that in no case which term shall exceed the term of nominated members under sub-section (4) of Section 4 of the act.

(3) the term of members of other committees shall be coterminus with the term of the nominated members under sub-section (4) of Section 4.

9. Particulars to be incorporated in the notice under Section 8(3).—the notice referred to in sub-section (3) of Section 8 shall contain the following particulars, namely:—

- (a) name and address of the establishment in which the unpaid accumulation was earned ;
- (b) wage period during which the unpaid accumulation was earned ;
- (c) amount of the unpaid accumulation;
- (d) list of employees and the amount of unpaid accumulation in respect of each of them paid to the Board.

10. Statement under section 9 (8).—the statement to be submitted to the State Government by the Welfare Commissioner under sub-section (8) of Section 9 shall be in Form 'B'.

11. Accounts of the Fund.—The accounts of the Fund for each financial year ending 31st March, shall be prepared and maintained in Form 'C'.

(2) the Board shall cause to be maintained the following registers :—

- (a) Fees register separately for different Welfare activities ;
- (b) Unpaid accumulations account register;
- (c) Register of quarterly receipts of unpaid accumulations from the establishment and publication of notices;
- (d) Register of payments towards settlement of claims to unpaid accumulations under Section 8;
- (e) Register of fines and unpaid accumulations received under rule 3;

- (f) Register of contribution received under Section 9;
- (g) Register of payment of allowances to members under rule 5;
- (h) Register of immovable properties of the board;
- (i) Register of movable properties of the board;
- (j) Register of penal interest paid under Section 10;
- (k) Register of voluntary donations to the Board;
- (l) Register of grant in aid or subsidy paid by the State Government;
- (m) Register of sums borrowed under Section 12;
- (n) Register of loans advanced by the State Government;
- (o) Register of grant in aid under Section 11(3);
- (p) Separate registers on expenditure in providing Welfare facilities mentioned in sub-section (2) of Section 11;
- (q) Registers relating to strength of staff, their Attendance, earned leave, casual leave, salary advance, loans and such other registers as the Welfare Commissioner may deem necessary for the proper administration of the Board.

12. Annual statement of accounts.—The annual statement of accounts of the board shall be prepared in Form D.

13. Budget of Board.—(1) The Welfare commissioner shall cause the budget estimates for each financial year to be prepared and laid before the Board on or before the first day of December of the Financial year next preceding for its acceptance and thereafter the budget estimates as accepted by the Board shall be forwarded to the State Government on or before 30th December.

(2) The State government may amend, modify or alter the estimates submitted for its approval under sub-rule (1) in any respect or manner it may deem fit and shall return the same with its approval with or without amendment, modification or alteration, within thirty days of the receipt of the budget estimates.

(3) the budget estimate approved by the State government under sub-rule (2) shall constitute the budget of the board for the financial year and shall be issued under the seal of the board and signed by the Chairman, the Welfare Commissioner and the Secretary. An authentic copy of the budget shall be forwarded to the State Government before the end of February.

14. Additional Expenditure.—(1) if during the course of the financial year it becomes necessary to incur expenditure over and above the provisions made in the budget, the Board shall immediately submit to the State Government the details of the proposed expenditure and specify the manner in which it is proposed to meet such additional expenditure.

(2) On receipt of the proposal under sub-rule (1) the State Government may either approve the proposed additional expenditure in full or in part with such modifications as it may deem necessary or without modifications or reject it totally. A copy of the order passed by the State government on the proposal shall

be communicated to the board.

15. Mode of payment from fund.—Payment from the Fund shall be made.—

(a) where the amount payable is less than Rs. 250 in cash, and

(b) Where the amount payable is more than Rs. 250 by Bank Draft or through Cheques issued by the Welfare Commissioner:

Provided that in any particular case the Board may, for special reasons to be recorded, authorise payment in cash in respect of any amount payable by it.

16. Additional powers of Inspector.—Every Inspector shall, for carrying out the purposes of the Act, also have the powers to require any employer to produce any document for his inspection to supply him a true copy of any such document and to give him a statement in writing.

17. Strength of staff etc.—Besides of Officers to be appointed by the State Government under Sections 15 and 16 of the Act the Board shall have such number of officers, clerical, executive and other staff as may be determined by the board with the previous approval of the State Government:

Provided that whenever it is necessary to alter the strength so determined, the board shall send necessary proposals with jurisdiction to the State Government for approval!

18. Classification, scales of pay, etc.—the Classification, the pay scales and allowances of the posts determined under rule 17 shall be such as may be determined by the board, from time to time with the previous approval of the State Government.

19. Method of recruitment.—(1) Recruitment to the boards service shall be by the following methods, namely:—

- (a) by direct recruitment by competitive examination.
- (b) by direct, recruitment by selection.
- (c) by promotion of members of the service, and
- (d) by obtaining State Government Servants on deputation under Section 18.

(2) The number of persons to be recruited through direct recruitment and promotion shall not exceed the percentage of determined by the board with the previous approval of the State Government.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy of vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by Welfare Commissioner.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Welfare Commissioner the exigencies of the services so required, the Welfare Commissioner may with the approval of the board and the State government, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as he may, by order issued in this behalf, specify.

20. Appointment to the service.—All appointment except those mentioned in Section 15 and 16 shall be made by the Welfare Commissioner with the approval of the board and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of requirement specified in rule 19.

21. conditions of eligibility of direct recruitment.--

In order to be eligible to be selected, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(a) he must have attained the age of 18 years and not attained the age of 30 years on the first day of January next following the date of commencement of the selection.

(b) the upper age limit shall be relaxed as follows :-

(i) in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidate up to 35 years;

(ii) if a candidate holding a post of the board's service applies for another post being filled through competitive examinations he will be allowed to deduct from his age the period of total service rendered by him up to the maximum of 7 years, subject, however, to the resultant age not exceeding the upper age limit by more than five years.

(iii) in case of retrenched government servant, the period of all temporary services previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years shall be allowed to be deducted from his age provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—the term retrenched government servant shall have the meaning assigned to it in the M. P. Labour Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1974.

(iv) in case of ex-servicemen, the period of all defence service previously rendered by

him shall be allowed to be deducted from his age.

Explanation.—the term 'ex-servicemen' denotes a person who belonged to any of the categories mentioned in rule 8 of the Madhya Pradesh Labour Service (Gazetted) Recruitment rules, 1974 and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendations of the economy with or due to normal reduction in the establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise, for employment in the board's service.

- (c) he must possess the educational qualifications which may be laid down by the Board for different posts with the previous approval of the State Government :

Provided that in exceptional cases and in the exigencies or service the board may on the recommendation of the Welfare commissioner, treat as qualified a candidate, who though not possessing any of the qualifications specified in this clause has passed examination conducted by other institutions by a standard which in the opinion of the Board justifies admission of the candidate to the examination and selection.

- (d) He must pay the fees fixed by the Board.

22. Finality of Welfare Commissioner's decision.—Subject to the provisions of clause (c) of rule 21 the decision of the Welfare Commissioner as to the

eligibility or otherwise of a candidate of selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Welfare commissioner shall be allowed to appear at the examination or be interviewed.

23. Disqualification.—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Welfare Commissioner to disqualify him for selection.

24. Competitive Examination.—(1) A competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Welfare Commissioner may, in consultation with the Board, from time to time determine.

(2) the examination including interviews shall be conducted by the Welfare commissioner in accordance with the procedure as may be determined by the Board.

25. Selection.—(1) Direct recruitment by selection to the service shall be held at such intervals as the Welfare commissioner may in consultation with the Board, from time to time determine.

(2) For purposes of selection under sub-rule (1) names of persons having prescribed qualifications shall be obtained from the Employment Exchange.

(3) For Selection of candidates for service shall be made by the Welfare Commissioner or other officer or Selection committee as may be determined by the board, after interviewing them;

Provided that a written test may also be held before interview to ascertain the candidates writing or typing capabilities.

26. Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.—Fifteen percent, and eighteen per cent of the available vacancies direct recruitment under clause 3(a) & (b) of sub-rule (1) of rule 19 shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.

(2) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 27 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(3) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them the remaining vacancies shall not be filled from the general candidates but re-advertise immediately and in the case of direct recruitment by selection, fresh names shall be obtained from the Employment Exchange. If any vacancies are still left unfilled they may be filled up from the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled castes or Scheduled Tribes for the subsequent two examinations or selections, as the case may be :

Provided that if sufficient number of suitable candidates are not available even after the two examinations or selections to fill all the reserved vacancies including the additional vacancies or such of them as are not filled shall lapse.

27. List of qualified candidates.—(1) Where recruitment is made by a competitive examinations the Welfare commissioner shall prepare a list arranged in order of

merit of the candidates who have qualified by such standard as may be determined by the Board, under sub-rule (2) of rule 24 and of the candidate belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard are declared by the Welfare Commissioner to be suitable for appointment to the Board's service with due regard to the maintenance of efficiency of Board's administration. The list shall be pasted on the Notice Board of the Administrative Officer of the Board.

(2) Subject to the provisions of these rules candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) Where recruitment is made by selection, the Welfare commissioner shall prepare a list of candidates whom he considers most suitable on the basis of the written test and interview or only interview, as the case may be arrange in order of preference and of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Who though not qualified by the standrad laid down are declared by the Welfare Commissioneer to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of board's Administration. The list shall be pasted on the Notice board of Administrative Office of the Board.

(4) the inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Welfare commissioner is satisfied after such enquiry as he may consider necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

28. Eligibility for promotion.—(1) The Board shall lay down the criteria for eligibility for promotion to various posts to be filled by promotion under rule 19.

(2) The Board shall constitute a committee of three members of whom two shall be the officers and one a member of the Board for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates. Different committees may be constituted for different categories of posts.

(3) The Committee shall prepare a list of such person as satisfy the criteria laid down under sub-rule (1) and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service based on merit with due regard to seniority. This list shall be sufficient to cover probable vacancies for two years.

(4) the names of the person included in the list shall be arranged in order of seniority in the service:

Provided that any junior person who, in the opinion of the committee, is of an exceptional merit and suitability may be assigned in the list a higher place than that of persons senior to him.

(5) the list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(6) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any members of the service the Committee shall record reasons for the proposed supersession.

(7) The list prepared under this rule shall be forwarded by the Committee to the Board.

(8) The Board, shall consider the list prepared by the Committee along with the other documents received from the Committee and, unless it considers any change necessary, approve the list.

(9) If the Board considers it necessary to make any change in the list received from the committee, it shall inform the committee of the change proposed and, after taking into account the comments, if any, of the committee may approve the list finally with such modification, if any, as may in its opinion be just and proper.

(10) The list as finally approved by the Board, shall form the select list for promotion of the members of the service to a particular category of posts. This list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised under sub-rule (5):

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Board and the Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the list.

(11) Appointment of the persons included in the select list to a particular category of posts, shall follow the order in which their names appear in the Select list :

Provided that, where administrative exigencies so require a person whose name is not included in the Select list or who is not next in order in the Select list, may be appointed to the Service if the board is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

29. Probation.—Every person directly recruited to the service of the board shall be appointed on probation for a period of two years.

30. Control of Board over staff.—(1) the persons appointed under section 17 shall function under the administrative supervisory and disciplinary control of the Board.

(2) the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification control and Appeal) rules, 1966 shall apply mutatis mutandis for disciplinary action against a person appointed under Section 17 of the Act.

31. Enquiry Under Section 19.—An enquiry contemplated under Section 19 shall be made in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification control and Appeal) Rules, 1966 by an officer specified by the State government for the purpose.

32. Limitation of expenditure.—the Expenditure on officers and the servants appointed under Chapter IV of the Act and other administrative expenditure shall not exceed 50 per cent. of the annual income of the fund.

33. Register of unclaimed wages and fines.—Every employer of an establishment shall maintain and preserve for period of 10 years a consolidated register of unclaimed wages and fines in Form 'E' :

Provided that in cases pending before the Appellate Authority the Register shall be preserved till the cases are finally disposed.

34. Interpretation.—If any question relating to the interpretation of these rules arises. It shall be referred to the State Government whose decision shall be final.

FORM 'A'
[See Rule 3(5)]

**Statement of Employees' and Employers' contribution
on 30th June and 31st December respectively.**

1. Name of the Establishment
2. Name of the employer
3. Class of establishment
4. Address of establishment
5. Total number of employees
[as per section 2 (3)]
whose names stand on the
muster roll of the
establishment on 30th June/31st
December.
6. (a) Employers' contribution
@ 50 paise per employee. Rs.
- (b) Employers contribution
@ 1 rupee per employee. Rs.
7. total of sub-entries (a)
and (b) of entry 6. Rs.

Date

.
Signature of employer

FORM 'B'
(See Rule 10)

Statement to be submitted by Welfare commissioner
under Section 9(8)

Class of establishments	No. of establishments	Account of Employers Contribution received by welfare Commissioner.
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
4		
5		
7		
8		
9		
10		

Total Rs.

Date

Signature of Welfare Commissioner.

eligibility or otherwise of a candidate of selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Welfare Commissioner shall be allowed to appear at the examination or be interviewed.

23. **Disqualification.**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Welfare Commissioner to disqualify him for selection.

24. **Competitive Examination.**—(1) A competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Welfare Commissioner may, in consultation with the Board, from time to time determine.

(2) the examination including interviews shall be conducted by the Welfare Commissioner in accordance with the procedure as may be determined by the Board.

25. **Selection.**—(1) Direct recruitment by selection to the service shall be held at such intervals as the Welfare Commissioner may in consultation with the Board, from time to time determine.

(2) For purposes of selection under sub-rule (1) names of persons having prescribed qualifications shall be obtained from the Employment Exchange/

(3) For Selection of candidates for service shall be made by the Welfare Commissioner or other officer or Selection committee as may be determined by the board, after interviewing them;

Provided that a written test may also be held before interview to ascertain the candidates writing or typing capabilities.

26. Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.—Fifteen percent, and eighteen per cent of the available vacancies direct recruitment under clause 3(a) & (b) of sub-rule (1) of rule 19 shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.

(2) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 27 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(3) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them the remaining vacancies shall not be filled from the general candidates but re-advertise immediately and in the case of direct recruitment by selection, fresh names shall be obtained from the Employment Exchange. If any vacancies are still left unfilled they may be filled up from the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled castes or Scheduled Tribes for the subsequent two examinations or selections, as the case may be :

Provided that if sufficient number of suitable candidates are not available even after the two examinations or selections to fill all the reserved vacancies including the additional vacancies or such of them as are not filled shall lapse.

27. List of qualified candidates.—(1) Where recruitment is made by a competitive examinations the Welfare commissioner shall prepare a list arranged in order of

merit of the candidates who have qualified by such standard as may be determined by the Board, under sub-rule (2) of rule-24 and of the candidate belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard are declared by the Welfare Commissioner to be suitable for appointment to the Board's service with due regard to the maintenance of efficiency of Board's administration. The list shall be pasted on the Notice Board of the Administrative Officer of the Board.

(2) Subject to the provisions of these rules candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) Where recruitment is made by selection, the Welfare commissioner shall prepare a list of candidates whom he considers most suitable on the basis of the written test and interview or only interview, as the case may be arrange in order of preference and of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Who though not qualified by the standrad laid down are declared by the Welfare Commissioneer to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of board's Administration. The list shall be pasted on the Notice board of Administrative Office of the Board.

(4) the inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Welfare commissioner is satisfied after such enquiry as he may consider necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

28. Eligibility for promotion.-(1) The Board shall lay down the criteria for eligibility for promotion to various posts to be filled by promotion under rule 19.

(2) The Board shall constitute a committee of three members of whom two shall be the officers and one a member of the Board for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates. Different committees may be constituted for different categories of posts.

(3) The Committee shall prepare a list of such person as satisfy the criteria laid down under sub-rule (1) and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service based on merit with due regard to seniority. This list shall be sufficient to cover probable vacancies for two years.

(4) the names of the person included in the list shall be arranged in order of seniority in the service:

Provided that any junior person who, in the opinion of the committee, is of an exceptional merit and suitability may be assigned in the list a higher place than that of persons senior to him.

(5) the list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(6) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any members of the service the Committee shall record reasons for the proposed supersession.

(7) The list prepared under this rule shall be forwarded by the Committee to the Board.

(8) The Board, shall consider the list prepared by the Committee along with the other documents received from the Committee and, unless it considers any change necessary, approve the list.

(9) If the Board considers it necessary to make any change in the list received from the committee, it shall inform the committee of the change proposed and, after taking into account the comments, if any, of the committee may approve the list finally with such modification, if any, as may in its opinion be just and proper.

(10) The list as finally approved by the Board, shall form the select list for promotion of the members of the service to a particular category of posts. This list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised under sub-rule (5):

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Board and the Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the list.

(11) Appointment of the persons included in the select list to a particular category of posts, shall follow the order in which their names appear in the Select list :

Provided that, where administrative exigencies so require a person whose name is not included in the Select list or who is not next in order in the Select list, may be appointed to the Service if the board is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

29. **Probation.**—Every person directly recruited to the service of the board shall be appointed on probation for a period of two years.

30. Control of Board over staff.—(1) the persons appointed under section 17 shall function under the administrative supervisory and disciplinary control of the Board.

(2) the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification control and Appeal) rules, 1966 shall apply mutatis mutandis for disciplinary action against a person appointed under Section 17 of the Act.

31. Enquiry Under Section 19.—An enquiry contemplated under Section 19 shall be made in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification control and Appeal) Rules, 1966 by an officer specified by the State government for the purpose.

32. Limitation of expenditure.—the Expenditure on officers and the servants appointed under Chapter IV of the Act and other administrative expenditure shall not exceed 50 per cent. of the annual income of the fund.

33. Register of unclaimed wages and fines.—Every employer of an establishment shall maintain and preserve for period of 10 years a consolidated register of unclaimed wages and fines in Form 'E' :

Provided that in cases pending before the Appellate Authority the Register shall be preserved till the cases are finally disposed.

34. Interpretation.—If any question relating to the interpretation of these rules arises. It shall be referred to the State Government whose decision shall be final.

FORM 'A'
[See Rule 3(5)]

**Statement of Employees' and Employers' contribution
on 30th June and 31st December respectively.**

1. Name of the Establishment
2. Name of the employer
3. Class of establishment
4. Address of establishment
5. Total number of employees
[as per section 2 (3)]
whose names stand on the
muster roll of the
establishment on 30th June/31st
December.
6. (a) Employers' contribution
@ 50 paise per employee. Rs.
- (b) Employers contribution
@ 1 rupee per employee. Rs.
7. total of sub-entries (a)
and (b) of entry 6. Rs.

Date

Signature of employer

FORM 'B'
(See Rule 10)

Statement to be submitted by Welfare commissioner
under Section 9(8)

Class of establishments	No. of establishments	Account of Employers Contribution received by welfare Commissioner.
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
4		
5		
7		
8		
9		
10		

Total Rs.

Date

Signature of Welfare Commissioner

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304-ब]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 नवम्बर 2007—कार्तिक 15, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2007

क्र. 9525/डी. 223/21-अ/प्रा./छ. ग./07.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29-10-2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2007)

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2007

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- | | | |
|-------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम. | 1. | इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2007 है. |
| धारा 4 का संशोधन. | 2. | छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (क) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात् शब्द "एवं उपाध्यक्ष" अन्तःस्थापित किया जाय. |

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2007

क्र. 9525/डी. 223/21-अ/प्रा./छ. ग./07.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 14 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 14 of 2007)

THE CHHATTISGARH SHRAM KALYAN NIDHI (SANSHODHAN) ACT, 2007

An Act Further to amend the Chhattisgarh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Eighth Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | |
|-------------------------|----|---|
| Short title. | 1. | This Act may be called the Chhattisgarh Shram Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007. |
| Amendment of Section 4. | 2. | In clause (a) of sub section (3) of section 4 of the Chhattisgarh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983), after the word "Chairman" the words "and Vice-Chairman" shall be inserted. |

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 जुलाई 2016 — आषाढ़ 20, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक 6540/डी. 195/21-अ/प्रारू./छ. ग./16 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21-01-2016 को राज्यपाल एवं दिनांक 26-06-2016 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 26 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्र. 36 सन् 1983) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | |
|-------------------------------|----|---|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. | (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा. |
| | | (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. |
| धारा 2 का संशोधन. | 2. | छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(3-क) “पंजीकृत कर्मचारी” से अभिप्रेत है कोई कर्मचारी जो धारा 9 के अंतर्गत अभिदाय करता है एवं जो धारा 9-क के अंतर्गत मण्डल द्वारा पंजीकृत है;” |
| नवीन धारा 9-क का अन्तःस्थापन. | 3. | मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“9-क. कर्मचारी का पंजीयन.- (1) धारा 2 के खण्ड (3) में यथा परिभाषित कर्मचारी के पंजीयन हेतु, प्रत्येक नियोजक, ऐसे कर्मचारी जिनके नाम क्रमशः 30 जून तथा 31 दिसम्बर को स्थापना के रजिस्टर में दर्ज हो, का विहित प्रारूप में विवरण, मण्डल को प्रस्तुत करेगा.

(2) मण्डल, नियमानुसार तथा राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से कर्मचारियों का पंजीयन करेगा.” |

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक 6540/डी. 195/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-07-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 26 of 2016)

CHHATTISGARH SHRAM KALYAN NIDHI (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2015

An Act further to amend the Chhattisgarh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Shram Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015. | Short title and commencement. |
| | (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | After clause (3) of Section 2 of the Chhattisgarh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982, (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :- | Amendment of Section 2. |
| | “(3-A) “Registered Employee” means any employee who contributes under Section 9 and who is registered by Board under Section 9-A;” | |
| 3. | After Section 9 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :- | Insertion of New Section 9-A. |
| | <p>“9-A. Registration of Employee.-(1) For registration of employee as defined in clause (3) of Section 2, every employer shall submit to the Board details in prescribed format of such employees whose names are recorded in register of establishment on 30th June and 31st December, respectively.</p> <p>(2) Board will register the employees as per rules and with the prior approval of the State Government.”</p> | |